सत्यमेव जयते

असंशोधित

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

25 जुलाई, 2018

षोडश विधान सभा बुधवार, तिथि 25 जुलाई, 2018 ई0

दशम् सत्र 03 श्रावण, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 9.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय सदस्यगण, बिहार विधान की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के अन्तर्गत श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, श्री जीतन राम मांझी, स0वि0स0, श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0, श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0 एवं श्री सदानन्द सिंह, स0वि0स0 से सामान्य लोकहित के विषय पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:

"यह सभा राज्य में सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे"।

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, सरकार को उत्तर के लिए भी समय इसमें निर्धारित हमने कर दिया है और थोड़ा रेशनलाईज किया है ताकि इसमें कोई दिक्कत न हो:

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल : | 35 मिनट |
| जनता दल (यूनाईटेड) : | 15 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी : | 15 मिनट |
| इंडियन नेशनल कॉंग्रेस : | 11 मिनट |
| सी0पी0आई0(एम0एल0) : | 05 मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी : | 01 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा: | 05 मिनट |
| राष्ट्रीय लोक समता पार्टी: | 01 मिनट |
| निर्दलीय: | 02 मिनट |

और सरकार को उत्तर के लिए भी 30 मिनट हमने इसमें रखा है । अब नेता विरोधी दल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य में सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे"।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस बार जो वर्षा होनी चाहिए थी, इस बार सामान्य वर्षा से भी कम वर्षा हुई है और आज पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति है और सदन के माध्यम से सरकार के सामने आज हम सभी लोगों की मांग है, सबसे पहला मांग जो है कि बिहार राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए और हमारे किसानों पर जो आज के दिन ऋण है, उसको भी माफ कर

टर्न : 01/राजेश/25.07.2018

देना चाहिए । सामान्य वर्षा से महोदय, आप देखियेगा कि वर्षा तो प्रकृति के हिसाब से कम या ज्यादा होता है लेकिन किसानों को बचाने की स्थिति और जिम्मेदारी सरकार की होती है और जिस तरीके से इतना बड़ा आपदा पूरे प्रदेश में हुआ है और सरकार को मालूम है कि कौन से महीने में बाढ़ आता है और कौन से महीने में सुखाड़ आता है और पूरा बिहार जो है बाढ़ और सुखाड़ से त्रस्त रहता है, यह जानते हुए भी राज्य सरकार की इस बार कोई तैयारी नहीं दिखी महोदय और पूरी तरीके से यह जो राज्य सरकार है, वह इसमें विफल रही । आप देखियेगा कि जो भी स्थिति है किसानों की, पहले से बद से बदत्तर थी और अब जो सुखाड़ आया है, उसमें न तो रोपाई हो रहा है और न ही बोआई हो रहा है और पूरा जितना बिचड़ा है, वह पूरा का पूरा सूख गया है और महोदय, इनका खुद का गाईडलाईन है कि अगर 19 परसेंट वर्षा से अगर कम होती है तो आकस्मिक फसल योजना के तहत जो किसान को सबसिडी देने की बात थी, वह जून अंत तक ही दे देना चाहिए था लेकिन आज आप देखियेगा महोदय, इतने महीने हो गये, अब जा करके आनन-फानन में इनलोगों ने डीजल अनुदान का ऑनलाईन जो काम है, अब जा करके उस प्रक्रिया को शुरु की गयी है, जो किसानों का रजिस्ट्रेशन करना था महोदय, बिहार में करोड़ों किसान हैं और अब तक केवल 10 हजार किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है, निबंधन हो पाया है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है महोदय, जब हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहॉ किसान करोड़ों की संख्या में है, तो कब जा करके यह सारा काम होगा ? अब जा करके इस सरकार का निंद खुला है महोदय, आप देखियेगा महोदय कि 85 परसेंट धान की बोआई नहीं हो पायी है, पूरा बिचड़ा सूख गया है और उसको बचाने का कोई उपाय भी इन लोगों ने नहीं किया था और जो यहॉ एरिगेशन मंत्री हैं, उनका 5 जुलाई 2018 को प्रभात खबर अखबार में यह बयान आया था कि इस साल खरीफ सिंचाई के लिए खास व्यवस्था की गयी है और उसी दिन छपा कि प्रदेश के 21 लाख 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलेगा लेकिन यह दावा तो सिर्फ कागजों में निपट कर रह गया महोदय, अगर उतनी एरिया में सिंचाई की व्यवस्था होती, तो अब तक मात्र 15 परसेंट एरिया में ही धान की बोआई नहीं होती महोदय तो आप देखियेगा महोदय कि जो 85 परसेंट धान की बोआई नही हो पायी है महोदय, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नलकूप खराब पड़ा हुआ है, ट्यूबबेल खराब पड़ा हुआ है, बोरिंग खराब पड़ा हुआ है और उस समय उप-मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमलोगों ने यह फैसला लिया, इतने दिनों से यह खराब पड़ा हुआ है, तो क्या व्यवस्था की गयी है सरकार के द्वारा, जिससे हमारे किसानों को सुखाड़ जब आये, तो उससे कम से कम निबटने का काम किया जाय, अब डीजल सबसिडी देकर किसानों का क्या करेंगे, जब पानी ही नहीं है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे,

पानी के संबंध में अभी बाणसागर से जो एग्रीमेंट हुआ महोदय, उसके तहत बिहार को जितना पानी मिलना चाहिए, उससे एक बूंद पानी नहीं मिला बिहार को, तो यह डबल इंजन की सरकार है, ये लोग दावा करते थे कि बिहार में आयेंगे, तो तेजी से बिहार का विकास होगा, विकास का बाढ़ आ जायेगा, मध्य प्रदेश में किसनी सरकार है महोदय, केन्द्र में किसकी सरकार है महोदय और बिहार में भी तो इन्हीं लोगों की सरकार है, पिछली बार जब बाढ़ आया था, तब प्रधानमंत्री जी घूम-घूमकर चले गये, पूर्णियाँ से हवाई यात्रा करके चले गये, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ थे, 500 करोड़ रुपये का बाढ़ से निबटने के लिए जो घोषणा किया गया, आज तक एक पैसा भी बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिला महोदय, यह तो स्थिति है और यह सरकार केवल घोषणा करना चाहती है, बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, न तो बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा ही मिल रहा है महोदय, न ही स्पेशल पैकेज की घोषणा, जो प्रधानमंत्री जी ने की थी कि सवा करोड़ लाख रुपये का पैकेज देने का काम करेंगे लेकिन एक पैसा भी आज बिहार को नहीं मिल रहा है महोदय और यहाँ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन ऐसा तो लग ही नहीं रहा है, जबकि यह सरकार जनता के लिए उत्तरदायी है, जवाबदेही है, तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं महोदय, ये लोग केवल और केवल अपनी कुर्सी को बचाने का काम करना चाहते हैं, अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे रहे, जनता त्रस्त होती रहे लेकिन सरकार में जो लोग हैं, वे मस्त रहें, यही इनलोगों की चिंता है महोदय, आज करोड़ों लोग इससे तबाह है महोदय, जो अन्नदाता है उनके लिए यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, वे लोग आत्महत्या के कगार पर आ गये हैं, उनके बच्चे जो हैं, वे भूखे मरने के कगार पर आ गये हैं, केन्द्र सरकार के लगातार किसान विरोधी नीतियों से आज पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन अब बिहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होते जा रही है जब से बी0जे0पी0 की सरकार आयी है, डबल इंजन की सरकार आयी है, कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह इतना गंभीर मसला होते जा रहा है महोदय, इसपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लोगों को बतना चाहिए कि इसपर सरकार की क्या तैयारी है ? कृषि रोडमैप की खाली मीटिंग होती है, घोषणा होती है लेकिन एक भी कृषि रोडमैप को ले करके जो तैयारी होनी चाहिए, जो इम्प्लीमेनटेशन होनी चाहिए वह पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है महोदय, कोई काम नहीं हो पा रहा है पूरे राज्य में और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी को अब तक इंतजार नहीं करना चाहिए महोदय, लगभग इसमें 53 प्रतिशत बारिश इस बार सामान्य वर्षा से कम हुई है, राज्य सरकार अगर चाहती थी, तो 45 परसेंट पर ही बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित कर दी होती लेकिन सरकार के लोग कोई गंभीर नहीं है, इस विषय को ले करके ।

क्रमशः

टर्न-2/सत्येन्द्र/25-7-18

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल:(क्रमश:) उस दिन भी हमलोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था महोदय, जिसको आपने अनुमति नहीं दी लेकिन अच्छा होता अगर सब लोग मिलकर के एक अच्छा संदेश जाता पूरे किसानों के बीच कि हमलोग सब लोग मिलकर के इस पर गंभीर है और जो कार्यस्थगन प्रस्ताव है वह स्वीकृत होता लेकिन हम फिर भी धन्यवाद करेंगे आपको महोदय कि कम से कम बहस करने की चर्चा अनुमति आपलोगों ने कराने का काम किया लेकिन फिर भी महोदय, ये बहस का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है । हमलोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि बिहार में सुखाड़ है, किसान जूझ रहे हैं, मरने के कगार पर हैं तो बहस में चर्चा में भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए । राज्य सरकार को इमीडियेटली जल्द से जल्द बिहार को सुखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए महोदय और हमलोगों की मांग है महोदय कि जितना बीज, फसल का मुआवजा जो नुकसान हुआ है महोदय उसका मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द देना चाहिए, किसानों का ऋण माफ करना चाहिए । महोदय, नि:शुल्क चौबीस घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्त्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। महोदय, खराब पड़े नलकूप की युद्धस्तर पर मरम्मति करानी चाहिए । महोदय, बाण सागर परियोजना के तहत मध्य प्रदेश से सोन नदी को प्राप्त होने वाले जल को अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु पहल करनी चाहिए। अबतक महोदय, इनकी बी0जे0पी0 की वहां सरकार है, केन्द्र में उनकी सरकार है, अभी तक हमलोगों यह नहीं देखा कि राज्य सरकार की इसमें क्या पहल रही है महोदय, मध्य प्रदेश सरकार से आखिर बात क्यों नहीं सरकार करती है,वहां इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो आखिर बात करने में क्या दिक्कत है, बात करने में क्या दिक्कत होती है इनलोगों को, हमलोगों को समझ में नहीं आता । अभी तक कोई एक इनिसियेटिव भी सरकार द्वारा नहीं दिखा कि अपने ही एलायंस की सरकार से ये लोग बात कर सके। कोई काम नहीं हो रहा है महोदय, हर जगह इसी तरीके का, खाली जुमलेबाजी करना, खाली घोषणा करना कि किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों को हम ये करेंगे, वो करेंगे । बिहार को फिर से कृषि प्रधान जो राज्य है, सब लोग को मदद करेंगे लेकिन अबतक कहां कुछ हो पा रहा है तो ये जो हमलोगों की मांग है महोदय कि सम्पूर्ण राज्य को सुखाग्रस्त घोषित करना चाहिए । किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु नि:शुल्क खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि सुलभ कराना चाहिए । पशुओं के लिए भी महोदय नि:शुल्क चारा की व्यवस्था करानी चाहिए। अभी तो देखिये, कितना बारिश होगा नहीं होगा लेकिन अगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और कुछ नहीं करेगी तो मेरे ख्याल से ऐसी सरकार को अब इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है जो जवाबदेह जनता के प्रति नहीं है  कोई जिम्मेदारी जो

अपने आपको निभाती नहीं है, उसको यहां बैठने की जरूरत नहीं है। अभी चाचा जी नहीं हैं लेकिन चाचा जी का पता नहीं कब अंतरात्मा जागेगी । बिहार जल रहा है, बिहार उफान पर है, महोदय लोग यहां पीड़ित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं महोदय लेकिन चाचा जी का अंतरात्मा नहीं जाग नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है तरह तरह के लोग बात करने लगे हैं, कभी उधर भागेंगे कभी इधर भागेंगे, इसी में सरकार का ध्यान है । चार साल में चार सरकार हमलोगों ने देख लिया । ये 12-13-14 साल से मुख्यमंत्री हैं महोदय, अबतक न बाढ़ की समस्या को इन्होंने दूर किया, न सुखाड़ की समस्या को दूर किया। अभी भी स्थिति यह है कि पता नहीं कब कहां जायेंगे, नहीं जायेंगे । इसी जोड़-तोड़ में लोग लगे हुए हैं । बिहार की चिन्ता ही करना लोगों ने छोड़ दिया है और अपनी कुर्सी की ही चिन्ता किये जा रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी कुर्सी की ही चिन्ता करेगा, बिहार की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा महोदय, जवाबदेह नहीं होगा तो किस प्रकार से हमारा बिहार आगे तरक्की करेगा । हमलोगों का राज्य एक पिछड़ा राज्य है और जिस प्रकार से, अगर कृषि का भी बजट देख लिया या और मंत्रालयों का बजट देख लिया जाये जो यह सरकार पैसा खर्च कर नहीं पाती है। महोदय, स्थिति जो बनी है, ये गंभीर मसला है और इसको तो हम चाहेंगे कि जितने भी सदस्य यहां बिहार विधान-सभा के हैं, सब लोग एक सूर में, मांग क्या करना है सरकार पर दवाब डाल कर के तुरंत बिहार में सुखाड़ घोषित कराना है ताकि जल्द से जल्द किसानों को लाभ पहुंच सके । हमको तो नहीं लगता कि जितने भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं, ये जरूर चाहते होंगे कि किसान को जल्द से जल्द लाभ पहुंचे और लाभ तो तब पहुंचेगा जब केन्द्र सरकार की आंख खुलेगी, मध्य प्रदेश सरकार की आंख खुलेगी, बिहार सरकार की आंख खुलेगी । बिहार को कम से कम पानी तो दिलवा दीजिये । सवा लाख करोड़ का पैकेज देने का वादा किये थे लेकिन कम से कम जो बिहार का अधिकार है, जो मिनट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो एकरारनामा हुआ है कम से कम  उसके तहत कुछ तो पानी इस राज्य को दिलवा दीजिये ताकि कुछ हद तक किसानों को लाभ पहुंचे लेकिन यह नहीं हो रहा है इसलिए हमलोगों की एक सूर में मांग है महोदय कि बिहार को अविलम्ब जल्द से जल्द, डिबेट क्या करना है,आप भी क्या बात कीजिये, आपलोग भी वही बात कीजियेगा तो सबलोगों की सहमत होकर इस पर महोदय सरकार को बोल देना चाहिए । आज ही जब सरकार उत्तर दे, तब बिहार को सुखाग्रस्त घोषित करने का एनाउंसमेंट कर दे और महोदय जो स्थिति बनी हुई है कम से कम नीतीश जी को इनीसियेटिव लेकर के बिहार के स्पेशल राज्य के दर्ज को करना चाहिए । ये तो राष्ट्रीय जनता दल की मांग रही है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले । जब अटल बिहार जी प्रधानमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थीं तो उनकी मांग थी महोदय । अब तो इन्हीं लोगों की सरकार है ।  पिछड़ा राज्य आगे कैसे बढ़ेगा । पता नहीं कि चाचा

जी के चेहरे को क्या हो गया है कि बिहार जो है, पब्लिक वेलफेयर इंडेक्श में सबसे अंतिम पैदान पर आ गया है, अंतिम नम्बर पर आ गया तो इससे शर्मसार हो रहा है महोदय बिहार । पब्लिक वेलफेयर मैटर में इतनी ढिलाई बरती जा रही है कि यह बिहार पिछड़ता जा रहा है और अब पता नहीं कब दिलायेंगे विशेष राज्य का दर्जा । क्यों नहीं, यहां जो बी0जे0पी0 के मंत्री हैं, यहां बैठे हुए हैं वे लोग क्यों नहीं अपने आकाओं को जाकर के बोलते हैं कि बिहार की यह स्थिति है, तुरंत मदद कीजिये, सहयोग कीजिये । तब न पता चलेगा कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार जो हैं, इंजन जो है अपराध में लग गया है और बिहार को डुबाने में लगा हुआ है इसलिए सब लोगों से यहीं मांग करते हैं कि ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए बिहार में जो किसानों की स्थिति है, अब ऐसा न हो जाय कि बिहार में भी इस तरह का न्यूज आता रहे कि किसान जो है खुदकुशी करने का काम कर रहे हैं तो फिर हम किसान के यहां हमलोग जायेंगे उनकी लड़ाई लड़ेंगे तो आपलोग ये नहीं कहना कि आपलोग नकारात्मक राजनीति करते है और भड़काने का काम कर रहे हैं। महोदय जो स्थिति वाकई में बनी हुई है, पहले तो बालू बंदी कर के मजदूरों को आपलोगों ने डूबाने का काम किया, अब जो सुखाड़ का मामला आया है, किसानों को आपलोग जो मारने के लिए कर रहे हैं, आपका जो काम होना चाहिए, कम से कम वह तो कीजिये । मौका है आपके पास, सारा सरकार है, पावर है, सत्ता है तो आपलोग कम से कम कीजिये । मान लीजिये 10 हजार किसानों का रजिष्ट्रेशन आपलोग कीजियेगा,यहां करोड़ों किसान है तो औरों को कब लाभ होगा,उनको कब लाभ पहुंचेगा तो महोदय इसलिए हम ज्यादा समय न लेकर अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं और चाहेंगे कि सरकार अपने उत्तर में, फिर से दोहरा रहे हैं सरकार अपने उत्तर में बिहार को सुखाड़ घोषित करे।

श्री भाई वीरेन्द्र: हुजूर मैं सूचना पर हूँ।

अध्यक्ष: कौन सी सूचना पर हैं?

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा हो रही है और न माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, न उप मुख्यमंत्री हैं । उप मुख्यमंत्री को केवल चूटी काटने की आदत है, न सिंचाई मंत्री हैं, सरकार गंभीर नहीं है किसानों के मामले को लेकर।

अध्यक्ष: भाई वीरेन्द्र जी, सरकार में सामूहिक जिम्मेवारी होती है और इतने सारे मंत्री यहां उपस्थित हैं । जो उपस्थित हैं उनको नहीं देखकर के जो अनुपस्थित हैं उनको क्यों आप देखते हैं? श्री मेवालाल चौधरी ।

श्री मेवालाल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हम आसन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें आज सुखाड़ पर बोलने का मौका दिया है । अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल से अगर किसान और खेती के बारे में सोची जाय तो हमारी सरकार ने इसके लिए सोची समझी एक प्लान किया है । एक ऐसा रूप रेखा तैयार किया है, एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में

जिसमें पहले से ही क्लाईमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इसमें बतलाया गया था अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी कह रहे थे कि मानसून ब्रेक जून के पहले होता है । हम बता दें अध्यक्ष महोदय, मॉनसून ब्रेक जेनरली मध्य जून के बाद ही होता है । इस बार हमारे यहां मॉनसून 20 जून के बाद ही ब्रेक हुआ है जिसके कारण जो भी यहां रैनफॉल हुआ है वह परिलक्षित है महोदय, ये क्लाईमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जिसकी आज हम बात कर रहे हैं और कृषि रोड मैप में बात की गयी है, इससे सिर्फ अपना देश ही आघात नहीं हो रहा है महोदय, पूरा विश्व इससे सफर कर रहा है । जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं महोदय, तो पूरे देश में जो स्टीमेट किया गया है महोदय, तकरीबन एक से डेढ़ डिग्री के तापमान की वृद्धि होगी और आने वाले दिन सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ बिहार राज्य ही नहीं, पूरे विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां इसका असर बहुत देखने को मिलेगा।(क्रमशः)

टर्न-3/मधुप/25.07.2018

श्री मेवालाल चौधरी : ...क्रमशः... महोदय, जिस सुखाड़ की बात कर रहे हैं, जिस आपदा की आज हम बात कर रहे हैं उसके भागीदार हम भी हैं, हमारी जनता भी है । हमारी सरकार ने पहले भी आदरणीय नीतीश बाबू, माननीय सुशील मोदी जी ने फोरेस्टेशन पर एक टारगेट फिक्स किया था जो 11 परसेंट पहले था, जब हमलोग उसको एचीव कर लिये तो आज हमलोगों ने एफोरेस्टेशन 15 परसेंट पर फिक्स किया । इसी हिसाब से हमलोग जंगल लगा रहे हैं लेकिन महोदय, जंगल की भी कटाई उतनी ही रफ्तार से गॉवों में हो रही है जिसके कारण आज हमें ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन देखने को मिल रहा है । इसलिये हम मानव लोग भी इस तरह के सुखाड़ का एक कारण हैं । महोदय, जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग दिन-प्रतिदिन होते जा रहे हैं, वह भी एक कारण है कि हमारे डिफोरेस्टेशन होते जा रहे हैं जिसके कारण ऐसी नौबत आ रही है । इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमारे यहॉ नहीं है लेकिन जो भी इंडस्ट्रीज हमारे यहॉ डेवलप हो रहे हैं वह भी एग्रीकल्चर लैंड पर ही हो रहे हैं जिसके कारण भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है । महोदय, जब ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हमारी जिंदगी इतनी सोफिसटिकेटेड और इतना आलीशन हो गया है, इतने गैसेज का इमीशन जो हो रहा है ग्रीन हाउस जिसके कारण टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और आज जो नौबत हम महसूस कर रहे हैं वह नौबत आगे आने वाले दिनों में और प्रलय होगा, सर । यह साधारणतः देखा जा रहा है ।

महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष सुखाड़ के मानक की बात कर रहे थे, साधारणतः यह देखा गया है कि अगर जून और जुलाई में बारिश 50 परसेंट से कम हो तो उस

समय हमलोग उसके बारे में चिन्ता करते हैं । दूसरा मानक जो है, अगर जून और जुलाई तक 80 परसेंट हमारे धान की रोपनी नहीं हो तो उस समय भी इस तरह की आपात स्थिति आने की संभावना रहती है । जो तीसरा सबसे बड़ा मानक है जिस सुखाड़ और आपदा की बात करते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, भू-जल अगर धीरे-धीरे घटती जा रही है, जो समय अभी आ रहा है, दो से चार फीट तक ग्राउंट वाटर डिप्लीशन हुआ है, जल स्तर में कमी हुई है । ये सारे मानक हैं जिसके कारण इस तरह की आपात स्थिति आती है । महोदय, हमारे देश का जो आंकड़ा है, एवरेज रेनफॉल तकरीबन 1000 से लेकर 1200 एम0एम0 होती है । यह बात सत्य है कि 10 एम0एम0 से अधिक किसी-किसी जिला में बारिश हुई है लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जैसे जमुई, नवादा, नालंदा, मुँगेर, जहाँ बारिश बहुत ही कम हुई है । अभी तक जो आंकड़ा कृषि विभाग का है पेपर के माध्यम से, 20 परसेंट ही मात्र धान की रोपनी हुई है । महोदय, यह सुखाड़ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबुल है, अभी तक बहुत कम ऐसे वैज्ञानिक हैं पूरे देश में जिन्होंने सुखाड़ के बारे में कोई प्रेडिक्शन किया है । महोदय, यह तय है कि यह सुखाड़ बड़ा रेकरिंग इन नेचर होता है । हर चार साल के बाद ऐसी स्थिति और संभावना बनती है । इसलिये आप अगर आंकड़ा देखेंगे, 2013 में ऐसी स्थिति आई थी जो स्थिति में आज हम हैं और 2018 में वैसी स्थिति की संभावना बन रही है ।

महोदय, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी ने इसलिये एक प्री-प्लानिंग के रूप में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक आपात मीटिंग की और कल कैबिनेट के मीटिंग में भी डीजल सबसिडी अनुदान जो किसानों के हित में हो, 40 रूपया पिछले साल जो था उसको बढ़ाकर 50 रूपया कर दिया गया । दूसरा, जो बिजली रेट था 96 पैसा प्रति यूनिट, उसको भी घटाकर 75 पैसा प्रति यूनिट कर दिया गया । ऊर्जा विभाग को एक स्पेशल ऑर्डर निर्गत किया गया कि जो भी ट्रांसफर्मर अगर खराब हो जाता है, वैसी स्थिति में 48 घंटा के अन्दर ट्रांसफर्मर का रिप्लेसमेंट करें ताकि किसानों को किसी तरह की बिजली आपूर्ति में कोई समस्या नहीं हो ।

(इस अवसर पर श्री हरिनारायण सिंह, मा0 सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ पर हैं, इतने सजग मंत्री हैं, जिलों में हमेशा घूमते रहते हैं, जो वैकल्पिक फसल है, जिसको हमलोग अल्टरनेट क्रॉप कहते हैं, उसकी पूरी तैयारी करके इन्होंने कृषि विभाग के पूरे महकमा को यह आदेश निर्गत किया है कि 5 दिनों के अन्दर जितने भी अल्टरनेट क्रॉप हैं, चाहे वे ड्राइलैंड क्रॉप हों, जैसे मरूआ, कोदो, चीना या मेज और शॉर्ट ड्युरेशन की राइस वेरायटी जो 100-125 दिनों में पक जाती है, वैसे वेरायटी का सीड प्लेसमेंट ब्लॉक में 5 दिनों के अन्दर कर दें ताकि जो भी उसमें इच्छुक किसान हों, वह किसान उसको लेकर लगावें । महोदय,

मनरेगा के तहत हमलोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि थोड़ी अनइम्पलायमेंट के प्रोब्लेम आयेंगे, लेबर्स की कमी हुई होगी, उसके तहत करीब 15 करोड़ उसका मानव दिवस सृजन किया गया है ।

महोदय, हम कुछ अपनी बात इस मामले में रखना चाह रहे हैं, जो बहुत सारी बातें हुई, मेरा अपना सुझाव है, आज सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी है, मेरा अपना एक निजी सजेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी का एक ऑफिस ब्लॉक लेवेल या पंचायत लेवेल पर बना दिया जाय ताकि लोगों को वहाँ पर, किसानों को ट्रेंड कर दिया जाय आपदा के बारे में, आपदा की स्थिति में कौन-सी फसल ली जाय, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दिया जाय कार्यशाला लगाकर ताकि ऐसी स्थिति में हमारे किसान घबरायें नहीं ।

महोदय, मौसम विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । हम कृषि मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एक मेटरोलोजीकल सब सेन्टर हरेक ब्लॉक लेवेल पर लगाया जाय और उस मेटरोलोजीकल सेन्टर का एक रिसपौंसिबुल पर्सन, आपके कृषि विज्ञान केन्द्र से उसको रिसपौंसिबुल करके जितने भी इनफॉर्मेशन हों किसान को पंचायत लेवेल पर दी जाय । महोदय, कृषि विभाग एक एग्रीकल्चर ऐप्स भी डेवलप करे ताकि एग्रीकल्चर ऐप्स के माध्यम से जितने भी मेटरोलोजीकल इनफॉर्मेशन हों, हम किसान को ससमय दे दें ताकि किसान अपनी क्रॉप प्लानिंग कर सकें । महोदय, आज बहुत जरूरी हो गया है क्रॉप प्लानिंग का । सर, आज जरूरी है कि वैसे एरिया जहाँ पर अमूमन वर्षा कम होती है, वैसे जगह ड्राइलैंड एग्रीकल्चर और ड्राइलैंड हॉर्टिकल्चर को प्रोमोट किया जाय ताकि किसान को फायदा हो जाय ।

महोदय, हमने पिछली बार भी इसी विधान सभा में एक सवाल किया था कि ऐसे बहुत सारे वाटर एब्जॉर्वेंट कंपाउंड हैं जिसको हमलोग एग्रो-जेल या हाइड्रो-जेल कहते हैं, बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य इसका इस्तेमाल करके क्रॉप को कुछ दिन तक सरवाइव करते हैं । वैसी चीज को भी सरकार एक डिमोंसट्रेशन के रूप में उसको इस्तेमाल करे ताकि हम फसल को बचा सकें ।

महोदय, मेरा एक निवेदन है चूंकि हमारा यह राज्य बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर इस तरह का ड्राइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी विश्वविद्यालय में सेन्टर नहीं है, हम कृषि मंत्री से निवेदन करेंगे कि एक ड्राइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर की स्थापना हो ताकि इसपर एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाय ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मेवालाल चौधरी : धन्यवाद ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री राघव शरण पाण्डेय जी ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : आपका और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया । यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि राज्य की 76 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और यह कृषि प्रधान राज्य है । इसलिये इस विशेष चर्चा का मैं स्वागत करता हूँ ।        ....क्रमशः...

टर्न-4/आजाद/25.07.2018

...... क्रमशः .......

श्री राघव शरण पाण्डेय : आज बड़ी प्रसन्नता हुई जब कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह प्रस्ताव दिया दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाय और सत्तापक्ष ने इसका स्वागत किया । आज हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के हित में बातें करना चाहते हैं ।

महोदय, इन्द्रदेव की नाराजगी स्पष्ट है । मौनसून जो जून के मध्य में आना था, वह करीब 15 दिन देर से आया । इतनी गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 1982 के बाद से अभी आयी है । वर्षा करीब-करीब 50 प्रतिशत से कम हुई है । कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में बारिश बहुत कम हुई है । धान की बोआई भी 20 प्रतिशत टारगेट का ही हो पाया है और राज्य में जो तीन एग्रो क्लाईमेटिंग जोन है एक,दो, तीन, सब जगह लोग त्रस्त हैं, कहीं बैंक खुदाई हो रही है । उत्तर पूर्वी बिहार में भी जमीन फट रहा है । राईस बॉल कहा जाने वाला भोजपुर में भी स्थिति बहुत खराब है । इस स्थिति में क्या करना चाहिए ? राज्य के मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी घोषणा तो नहीं हुई कि सूखा डिक्लेयर हो या नहीं हो, 31 जुलाई को हम सबको इन्तजार है लेकिन 20 और 22 जुलाई को क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके घोषणा होने के बाद जो कार्य होने हैं, उनपर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। डिजल अनुदान जो पहले दिया गया था, उसमें 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, 40रू0 से 50 रू0 किया गया है । 10लीटर प्रति एकड़ का प्रावधान किया गया है । 5 पटवन का प्रावधान किया गया है । एक किसान को करीब-करीब तीन हजार रू0 का लाभ इसमें होगा । दलहन, तेलहन में भी तीन पटाई का प्रावधान किया गया है । उसमें भी करीब 2500रू0 मिलेंगे । बिजली के दरों में करीब 20 प्रतिशत की कमी की गई है प्रति यूनिट और दो घंटे बिजली की उपलब्धतता बढ़ाने का आदेश दे दिये गये हैं । वाटर टैंकर क्योंकि पानी का स्तर भी 1 से 3 फीट नीचे होने का अनुमान है करीब 28 जिलों में, इसलिए पानी के टैंकरों को बढ़ाने का आदेश दे दिये गये हैं । पशुओं के लिए जगह सुरक्षित हों, इसके लिए करीब 1500 जलाशय को विभाग चुनें, इसके लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं और सबसे ऐतिहासिक कदम जो इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने

उठाया था, जो इस देश में कहीं नहीं है, वह है फसल सहायता योजना । यदि वह ठीक से लागू हो जाय, अभी यह शुरूआत है तो यह एक बहुत बड़ा अन-प्रेसीडेंटल और क्रांतिकारी कदम होगा । मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हमलोग इधर बैठे हैं, 2015 में उधर बैठते थे और जो लोग उधर बैठते हैं, वे लोग इधर बैठते थे । 2015 में क्या स्थिति थी, एक स्वराज्य अभियान नाम की स्वयसेवी संस्था है दिल्ली में, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक पी0आई0एल0 के जरिए सूखे की स्थिति पर निवेदन दिया था, उसमें कई राज्य सरकारों के विरूद्ध आरोप थे, उसमें बिहार सरकार भी थी । उस समय के बिहार सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज जो उधर बैठे हैं, जब इधर थे, मैं उसका दो-तीन पंक्तियां पढ़ूँगा । सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि -

> It appears to us, that there is more than sufficient material to suggest that there is a perceptible threat of a miled or moderate drought in the state of Bihar but Bihar state continues to be in a mode of denial.

और ऐसा आदेश दिया बिहार सरकार को, जिसमें बिहार और अन्य राज्य भी शामिल थे, उनके साथ बैठकर इसकी समीक्षा कीजिए कि सरकार का यह रवैय्या क्यों हैं ? आज मै कहना चाहूँगा कि 2018 में यह 2015 वाली सरकार नहीं है । आज वास्तव में डबल ईंजन की सरकार है । ऐसी सरकार है, जो सुखाड़ घोषित होने के पहले की स्थिति में भी इतने सारे कदम उठा चुकी है और यदि यह स्थिति रही तो 31 जुलाई का हम सबको इन्तजार है कि उस समय क्या होगा और इसकी घोषणा कैसे होगी?

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, कुछ सुझाव देना चाहूँगा । एक सुझाव तो यह है कि किसान सचमुच जैसा नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि त्रस्त हैं, गन्ना किसानों के बारे में कहूँगा कि वे कहां से डीजल खरीदेंगे, उनका जो पेमेंट बाकी है, उसको अविलम्ब भुगतान कराया जाय और इसके लिए 400-500 करोड़ रू0 की एक विशेष निधि की स्थापना की जाय, जिससे कि यह हो जाय ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, हमारे विपक्ष के नेता के द्वारा सुखाड़ के स्थिति पर विचार करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में मैं आपके माध्यम से सरकार के पास कुछ बातें रखना चाहता हूँ । महोदय, आप जानते हैं या नहीं, मुझे पता नहीं , गांव में एक कहावत है, गांव में एक सोसाईटी है, उसके घर में जब नई दुल्हन आती है और उस दिन कोई नहीं मरता है तो दुल्हन को निकाल दिया जाता है । अगर कोई मर गया तो उसको घी और गंगाजल से नहाया जाता है । यही हाल इस सरकार की है । ये बेचारी

सरकार जब से आयी है, तब से सारा बिहार जल रहा है । बात बनाते हैं और इनका बात सुनते-सुनते हमलोग बेदम हो गये हैं । 2007, 2009, 2013, 2017, 2018 आंकड़ा देख लीजिए कि कितनी कम बारिश हुई है, कभी सुखाड़, कभी बाढ़, कभी ओला-पत्थर, जब से आयी है श्रवण बाबू की सरकार, नीतीश जी की सरकार यही हालत है पूरा बिहार में त्राहिमाम-त्राहिमाम है । इसलिए हुजूर, जैसे वह सोसाईटी उस दुल्हन को निकाल देती है, अब हमारी जरूरत इसी ओर हो गई है कि हमलोग आपको निकाल फेंक करके बाहर कर देंगे, नहीं तो बड़े भाई की शरण में जाईए । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान् से, तब से आप देखिए हुजूर, 10 वर्षों की आंकड़ों को .....

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, माननीय रामदेव बाबू को दो दिनों से कांग्रेस के नेता और आर0जे0डी0 के लोग इनको जबर्दस्ती निकाल दे रहे हैं और इनको संशोधन भी पेश नहीं करने दे रहे हैं ।

श्री रामदेव राय : देखिए, संशोधन पेश करना हमारी जवाबदेही है, मैं अपने गठबंधन के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहूं और अपनी पार्टी के स्टैंड को रखा हूँ । मगर आप यह देख लीजिए श्रवण बाबू और माननीय मंत्रीगण, 10 वर्षों में सबसे कम बारिश इस बार जुलाई में हुई है । आप देखिए खेती का काम आषाढ़ महीने में शुरू होता है और आज सावन महीना है । धान की रोपनी के लिए मात्र 6 दिन बच गया है इस नक्षत्र का । आप नहीं जानते हैं क्या, प्रेम बाबू नहीं जानते हैं क्या, बोलिये 6 दिनों में धान की रोपनी और हमारे मुख्यमंत्री जी का, सरकार की डपोरशंखी घोषणा क्या है कि 31 जुलाई को यानी हमारा कफन वे लेना चाहते हैं । हमको मार करके जला देना और कफन लेना चाहते हैं । 31 जुलाई को वे विचार करेंगे, विचार नहीं हुआ तो सुखाड़ नहीं है, अगर विचार करेंगे तो 25 दिनों में डीजल का दाम भेजना है आपको । हुजूर, डिजल का दाम 25 दिनों में खाता में जायेगा यानी एक महीने के बाद आप राहत देने की तैयारी कर रहे हैं । बोलिए हिन्दुस्तान के लोग कौन कहें, दुनिया के लोग आपको क्या कहेगा, सो आप समझ लीजिए, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ ।

आप डिजल की बात करते हैं, आप डिजल का अनुदान 50रू0 प्रतिलीटर देते हैं और डीजल का दाम है 74.63 रू0, आप 2013 में भी डिजल का अनुदान दिये थे, आप किसानों को क्या राहत देना चाहते हैं, आप किसान विरोधी नहीं कहलायेंगे तो आपको क्या कहेंगे, ये किसान विरोधी और मजदूर विरोधी एन0डी0ए0 की सरकार है । अगर आप नहीं चेतते हैं तो आप देखिए आपका भतीजा तैयार हो गया है उधर, अगर घर में भी आपको मेल नहीं है, न भाई से, न भतीजा से मेल है तो लगता है कि बेटा से भी मेल नहीं होगा तो ये किसान-मजदूर को कौन देखेगा । दूसरी ओर आप देखिए हुजूर, हमारे पास नलकूप कितने हैं, देखिए । कृषि योग्य भूमि हमारे पास 565108 हेक्टेयर है और बंजर भूमि 5 लाख है और गैर-कृषि कार्य भूमि 13 लाख है लेकिन

हमारे पास जो ट्यूबवेल की संख्या है 10242 है, जिसमें से हुजूर मात्र 4हजार ट्यूबवेल कार्यरत है । हमारे दिनेश बाबू को मंत्री तो बना दिये लेकिन इनको पैसा देते नहीं हैं, वे कैसे मरम्मत करेंगे ट्यूब वेल को । हमारे यहां 10 हजार ट्यूबवेल है और 1977 से बना हुआ ट्यूबवेल आज सूखा एवं बन्द पड़ा हुआ है..

..... क्रमशः .....

टर्न-5/अंजनी/दि0 25.07.2018

श्री रामदेव राय : ....क्रमशः.... जब ट्यूबवेल आपके नाम पर रोयेगा, जब हमारे खेत में पानी नहीं जायेगा तो आप बिहार का पानी क्या बचा सकते हैं, इसपर आप स्वयं गौर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दो हजार हेक्टेयर तक की भूमि सिंचाई से कम है । कितनी भूमि है ? हमारे पास 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादे भूमि है और मात्र 2000 हेक्टेयर में इस नलकूप से खेती होती है । बोलिए श्रीमान्, कितना बड़ा जुल्म है । आप इसको पाट नहीं सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं क्या ? आपके पास ऐशो-आराम के लिए पैसे हैं, मगर किसान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और बिहार की तरक्की के लिए आप कुछ नहीं सोच सकते हैं क्या ? हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम आपको विचार दे रहे हैं कि आप जल्दी चेतिए इस ओर । क्यों नहीं आज तक घोषणा हुई, क्या कारण है कि घोषणा नहीं हुई ? अब क्या चाहिए, बिचड़ा कितना जल गया, गौर कर लीजिए, कितने खेत में बिचड़ा लगे । हुजुर, 94 प्रतिशत् धान का बिचड़ा लगा, जिसमें मात्र 19 प्रतिशत तक धान की रोपनी हुई है । आप गौर कर लीजिए । एक ओर आप कहते हैं कि हम न्यूनतम मूल्य देंगे किसानों को, आप घोषणा किये हैं । गेहूँ, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में भी आपने आपराधिक लापरवाही बरती है, इसलिए आप पर एफ0आई0आर0 दर्ज होना चाहिए । हम विपक्ष के नेता को कहेंगे कि आप जल्दीबाजी कीजिए, एफ0आई0आर0 दर्ज कीजिए, नहीं तो किसान मुझे भी माफ नहीं करेगा । इसलिए जल्दी कीजिए । गौर कर लीजिए, आप चेत जाइए, जब बड़ा आदमी गाड़ी से उतरकर साईकिल से यात्रा या पैदल यात्रा करता है तो गरीबों का स्नेह, प्यार उसको मिलता है, गले से लगाता है । इसलिए आप गौर कर लीजिए कि क्या होनेवाला है ? भविष्य संकेत करता है और हुजूर, आप यह देखिए कि अब 31 जुलाई के बाद सारी रोपनी बंद हो जायेगी, इसलिए मैं आपको मानता हूँ प्रेम बाबू कि दस हजार रूपये प्रति एकड़, आप इस क्षतिपूर्त्ति को पूरा कीजिए । आप बहुत प्रगतिशील मंत्री हैं, विचार जरूर करेंगे, मैं समझता हूँ । भाजपा का अलग कल्चर है आपमें, आप अपना कल्चर बताइए और अपने भाषण में घोषणा कीजिए कि हम दस हजार रूपया प्रति एकड़ किसान को मुआवजा देंगे । महोदय, आप यही गौर कर लीजिए कि मात्र 25 हजार टन आप गेहूँ खरीदे हैं किसान से और आप अपने लक्ष्य को क्या किये, दो लाख

कर दिये, किसान चार सौ रूपये प्रति क्विंटल कम दाम में गेहूँ बेचने के लिए विवश हुआ है बिचौलियों के माध्यम से । अब आप बोलिए, किसान रो रहा हो, मजदूर रो रहा हो, हमारी बेटी रो रही हो और हमारे मंत्री परिषद के लोग, लगता है कि मंत्रिपरिषद में कोई गरीब का बेटा नहीं है । अगर होता हजारी जी, तो वह सीधे किसान के पास चला जाता । आप या तो रिजाइन कीजिए या तो आप काम कीजिए, हम गठबंधन के लोग आपके साथ काम करने को तैयार हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि आप यह गौर करके चलिए कि किसान क्या चाहता है ? किसान को समय पर खेती चाहिए, डीजल का पैसा चाहिए, प्रमाणित बीज देना चाहते हैं तो प्रमाणित बीज भेजिए, खाद भेजिए, लोन दीजिए और जो पूर्व का लोन है, उसको माफ करिए । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जन आन्दोलन छिड़ेगा । आप लौटकर आने तो दीजिए विपक्ष के नेता को गया से साईकिल से, फिर आपको पता चल जायेगा कि महागठबंधन आपको इतना दूर तक फेंक देगा कि जहां आपको कोई भी पूछनेवाला नहीं होगा, यह बात श्रीमान् गौर कर लीजिए । महोदय, एक और आंकड़ा देना चाहते हैं कि हम 500 टैंकर से पानी देंगे, यह आप कह रहे हैं । हुजूर, आप गौर कर लीजिए कि हमारे पास कितने गांव, कितने पंचायत हैं ? आठ हजार से ज्यादे पंचायत है, लगभग 600 प्रखंड है और टैंकर 500 दीजियेगा तो आप 500 टैंकर से कितने गांव को पानी दीजियेगा ? पशुओं के लिए 1300 जगह चिंहित किया गया है, बोलिए पशु मरेगा नहीं ? पशु मर रहा है, आदमी मर रहा है, जानवर मर रहे हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, आप कहते हैं कि हम 34 हजार टयूबवेल रिपेयर कराये, आप ईमान से बोलिए भगवान को साक्षी लेकर कि कितना ट्यूबवेल रिपेयर हुआ है ? कोई ट्यूबवेल रिपेयर नहीं हुआ है और झूठा आंकड़ा प्रस्तुत करके सदन को आप गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मैं मांग करता हूँ सरकार से कि आप इसकी जांच कराइए, नहीं तो आप गलत आंकड़ा के बारे में क्षमा मांगिए सदन से । महोदय, अभी आप देखिए कि पानी का सतह कितना कम गया है, आप इसको नपवा लीजिए । गया में तो और भी पानी नहीं मिलता होगा । महोदय, हमारे यहां सभी जलाशय सूख गया, 19 में 9 जलाशय बेकार पड़ गया है, कुछ भी पानी नहीं है । वाणसागर से पानी नहीं आ रहा है, सोन नदी सूखा हुआ है, तालाब सूखा हुआ है, गंगा सूख रही है, आपके नाम पर गंगा रो रही है, गंगा रोती रहेगी, गंगा भाग जायेगी तो आपका क्या हालत होगा, यह आप समझ लीजिए । गंडक में पानी नहीं, बराज में पानी नहीं, आपके गांव के गड्ढ़े में पानी नहीं तो आप सिंचाई कैसे कर सकते हैं, कैसे किसान को लाभ पहुंचा सकते हैं । इसलिए आपसे निवेदन है आप किसानों के प्रति सोचिए । आप मनरेगा से उड़ाही कराइयेगा । इसमें क्या होता है हुजूर मनरेगा में, मनरेगा के पदाधिकारी कहता है कि आप रसीद दिखाइए कि आपका पोखर है कि नहीं, बताइए तालाब के पानी का लाभ जेनरल लोग लेते हैं और मनरेगा के पदाधिकारी रसीद मांगते

हैं। बोलिए, हम रसीद दिखायेंगे तो तालाब की उड़ाही होगी, अगर रसीद नहीं है तो तालाब की उड़ाही नहीं होगी । मनरेगा से काम कराकर आप किसको लाभ देंगे, मशीन को लाभ देंगे । मनरेगा का लाभ मशीन को मिलता है, मजदूर को नहीं मिलता है, आप इसकी जांच कराइए एक टीम बनाकर कि यह बात सही है कि नहीं, नहीं तो इस स्थिति में आपकी यह सारी घोषणा बिल्कुल बेकार पड़ जायेगी । इसलिए निवेदन करता हूँ कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित कीजिए क्योंकि अकाल की छाया मंडरा रही है सारे बिहार पर, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों के आंखों में आंसू है, कोई पोछनेवाला तक नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर किसानों के आंखों के आंसू पोछें और किसानों को राहत दिलाने का काम करें ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामदेव राय : मनरेगा का लाभ ये लेना चाहते हैं लेकिन मनरेगा किसकी देन है, इसको सब लोग जानते है। । यह यू0पी0ए0 सरकार की देन है । आप यू0पी0ए0 सरकार का नाम लीजियेगा तो नहीं, लेकिन नाम बदल देंगे लेकिन इनको पता नहीं है कि नाम बदलने से हमारा काम नहीं बदलेगा, हमारा काम जारी रहेगा । हम अपने दायित्व को निभायेंगे और जो अपने दायित्व को नहीं निभायेगा, पद छोटा हो या बड़ा, जवाबदेही महान होती है और जो भी जवाबदेही का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेगा तो वह कभी बिहार और भारत का वासी नहीं हो सकता है, इसलिए जवाबहेदी का निर्वहन कीजिए । जवाबदेही निर्वहन करने हेतु कांग्रेस से सीखिए, महागठबंधन से सीखिए....

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री सिद्दिकी साहेब ।

श्री रामदेव राय : महोदय, आसन से आग्रह है कि हमारे पास 11 मिनट का समय है । अभी हमारा टाईम बाकी है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : आपका समय समाप्त हो गया । बोलिए सिद्दिकी साहेब ।

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय : मेरा 11 मिनट समय था ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामदेव राय : 50 प्रतिशत् से भी कम बारिश हुई है । 2013 में ये लोग कहां थे, इसको याद कर लीजिए । 2013 में क्या बोलते थे, उसको सुन लीजिए और आज ये क्या बोल रहे हैं, उसको भी सुन लीजिए । इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कांग्रेस और गठबंधन मिलकर के धरती से पानी निकालकर आपको बेपानी कर देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

टर्न-6/शंभु/25.07.18

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सुखाड़ से उत्पन्न भयावह स्थिति के संबंध में अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने सदन से अनुरोध किया है कि भयावह स्थिति को देखते हुए बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। महोदय, इस सदन में यह कोई पहला अवसर नहीं है कि सुखाड़ के बावत बहस चलायी जा रही है । इस सदन में कई बार सुखाड़ के संबंध में, बाढ़ के संबंध में, बाढ़ की विभिषिका के संबंध में, सुखाड़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कई बार बहस हुई है । विपक्ष अपनी बात रखता है, सत्तापक्ष के माननीय विधायक भी अपनी बात रखते हैं और सरकार जवाब देती है कि हम यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं- सरकार चाहे जो भी हो, सरकार वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकार हो उनके द्वारा किये गये वादों का अगर पन्ना उल्टा जाय तो यही कहा जायेगा कि सरकार के द्वारा मात्र औपचारिकता का निर्वहन किया जाता है। महोदय, आज जो सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति है इसमें किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की क्या स्थिति है ? भयावह स्थित है महोदय और किसान यहां के मजदूर यहां के इन्द्र देवता की तरफ टुकटुकी लगाये हुए हैं कि अब वर्षा हो, अब वर्षा हो और सरकार भी इन्द्र देवता के भरोसे ही बैठी हुई है । इस बहस की बात हुई तो सरकार ने कहा कि दो चार दिन और देखा जाय पानी आ सकता है, पानी आ जायेगा। सरकार ने भी अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपने कर्म की बदौलत नहीं बल्कि इन्द्र देवता के बदौलत ही सरकार भी चल रही है । महोदय, अब सुखाड़ से किसान, मजदूर त्रस्त है और सरकार मस्त है । सरकार डेंटिंग-पेंटिंग में अपना सारा समय गंवा रही है और डेंटिंग पेंटिंग कैसा करवा रही है सरकार यह तो सरकार के माननीय मंत्री बखूबी जानते हैं । महोदय, मैं सरकार से बहुत संक्षेप में तीन चार सवाल करना चाहता हूँ कि जो यह सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है । मैंने पहले ही कहा कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कई बार हुआ है, मगर सरकार अब यह बताये कि वेस्टर्न कोशी कैनाल का क्या हुआ, क्या बन गया, क्या चालू है ? क्या चालू कराने की दिशा में कोई कार्रवाई की गयी है ? सरकार कम से कम इतना ही बता दे कि बंद पड़े बोरिंग को क्या चालू करा दिया गया है ? बंद पड़े बोरिंग किस अवस्था में है ? सरकार यही बता दे कि वैकल्पिक खेती के लिए क्य-क्या व्यवस्था की गयी है ? बिहार में वैकल्पिक खेती कहां-कहां हो रही है ? सरकार की उसमें क्या सहायता है ? सरकार कम से कम यही बता दे कि किसानों के लिए उनके उत्पादन मूल्य उनको मिल जाय इसके लिए बाजार की क्या व्यवस्था की गयी है ? सरकार कम से कम यही बता दे कि कितने बंद पड़े चीनी मिल खुल गये, बंद पड़े चीनी मिल अगर नहीं खुले तो नये चीनी मिल कौन से खुले हैं ? मतलब मजदूरों का यहां से पंजाब, हरियाणा अन्य राज्यों में क्या पलायन हो

रहा है या नहीं हो रहा है ? क्या सरकार ने मजदूरों का पलायन रोक दिया है । महोदय, बिहार की चिंता आपको भी है और आपको ज्यादा है । आप कहियेगा कि विपक्ष तो सिर्फ राजनीति करती है - विपक्ष और पक्ष दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बिहार के प्रति है, बिहार की जनता के प्रति है, बिहार के किसानों के प्रति है, बिहार के मजदूरों के प्रति है और इसमें किसी तरह का राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए । मैं तो समझता था कि सुखाड़ के संबंध में मैं तो कहूंगा कि विपक्ष सरकार को मदद कर रही है । सरकार को इस वजह से मदद कर रही है, सरकार को कह रही है कि सुखाड़ की जो स्थिति है, सुखाड़ ग्रस्त बिहार को घोषित किया जाय । इससे फायदा क्या-क्या होगा आपको और इस वजह से कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार की जो नीति है, केन्द्र सरकार का जो व्यवहार है, केन्द्र सरकार के जो आचरण हैं वह बिहार के साथ सौतेलापन का है । आज आप यह बताइये कि महाराष्ट्र को कितना हजार करोड़ रूपया मुहैय्या केन्द्र सरकार ने कराया और अगर हम कहें कि बिहार को भी उतने पैसा मुहैय्या कराया जाय, अगर हम कहें कि देश का प्रधानमंत्री बिहार में आकर जो स्पेशल पैकेज की घोषणा की उसको अविलंब मुहैय्या कराया जाय । यदि हम कहें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाय तो आपको राजनीति नजर आती है । इससे अब्दुल बारी सिद्दिकी का, नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष का क्या फायदा होनेवाला है ? फायदा होगा बिहार का। महोदय, मैं तो काम की बात बोल रहा हूँ, अब आपने पीला बत्ती जलाकर हमें सचेत कर दिया । महोदय, आज ही मजदूरों की स्थिति क्या है यह आंख खोलने वाला उत्तर आज श्रम कल्याण मंत्री ने हमारे माननीय विधायक नवाज आलम के प्रश्न के आलोक में लिखित उत्तर दिया है । क्या उत्तर दिया है, क्या स्थिति है बिहार की - अब इन्होंने पूछा कि जो मजदूर हैं भवन में, अन्य सह निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उसकी स्थिति क्या है ? उसके बारे में सवाल पूछा है । अब माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि कितना बिहार की आबादी क्या है, बिहार में मजदूरों की आबादी क्या है? बिहार में किसानों की स्थिति क्या है ? अब माननीय मंत्री ने आंख खोला है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : महोदय, प्रश्नोत्तर काल में ये पूछेंगे तो हम जवाब देंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : आपसे थोड़ा ज्यादा दिन से हम हैं सदन में और सदन का नियम-कायदा और कार्य संचालन नियमावली से हम आपसे ज्यादा वाकिफ हैं । मैंने यह कहा मैं सभापति जी के तरफ ही मुखातिब हूँ । अब इन्होंने कहा कि विवाह के लिए कितने लोगों को अनुदान दिया गया बिहार में 79 लोगों को, मृत्यु लाभ कितने लोगों को मिला मात्र 97 लोगों को, पेंशन कितने को मिला मात्र 6 लोगों को, दाह संस्कार के लिए कितना लाभ मिला मात्र 83 लोगों को, भवन मरम्मति, औजार एवं साइकिल क्रय हेतु कितना मिला मात्र 94527 लोगों को यह स्थिति है बिहार के मजदूरों की ।

क्रमशः

टर्न-7/अशोक/25.07.2018

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : क्रमशः ... अब हम इस पर क्या कहें, दोषारोपण करना भी बेकार है । महोदय, अगर सरकार गंभीर है तो सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके केन्द्र सरकार पर दबाव बनाये कि महाराष्ट्र का, अन्य राज्यों को, अन्य बी.जे.पी. शासित राज्यों को जो सुविधा आप दे रहे हैं, बिहार के साथ क्यों भेद-भाव कर रहे हैं । ठीक ही कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो पता नहीं एक इंजन आगे खींच रहा है डिब्बा को और एक इंजन जो जुड़ी है वह लगता है कि पीछे खींच रहा है । इसलिये बिहार की भयावह स्थिति को देखते हुये सुखाड़ घोषित किया जाय। सुखाड़ के बारे में ये कह रहे हैं कि हम यह कर रहे है, डिजल अनुदान दे रहे हैं फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं । बिहार के लोगों को खैरात खिलाने की आदत बंद कीजिये, बिहार के लोगों को चाहिये सिंचाई, बिहार के लोगों को चाहिये कैनाल, बिहार के लोगों को चाहिये बाजार, बिहार के लोगों को चाहिये चीनी मिल, बिहार के लोगों को चाहिये तम्बाकू का जो खेती होती है उसका मार्केट, बिहार के लोागेंा को चाहिये बोरिंग, बिहार के लोगों को चाहिये बंद पड़े बोरिंग को चालू करना । महोदय, मुझे लगता है कि सरकार, न हमने किसी तरह की राजनीति बतिआई, अगर राजनीति हमने नहीं बतिआई है तो आप भी राजनीति नहीं बतियाना और महाराष्ट्र की तरह बिहार को केन्द्र सरकार ने अब तक अनुदान क्यों नहीं दिया, सरकार इस पर भी उत्तर दे, सरकार इस पर भी उत्तर जरूर दे कि बी.जे.पी. शासित राज्यों को केन्द्र सरकार क्या-क्या सुविधा दे रही है जो गैर बी.जे.पी. शासित राज्य है, उनके साथ क्या-क्या कर रही है, यह भेद-भाव क्यों बरत रही है । अगर भेद भाव बरत रही है तो पहले हम बिहारी हैं तब हम आर.जे.डी. और बी.जे.पी. और कॉग्रेस और जदयू हैं, अगर हम बिहारी हैं तो हमारा बिहारी स्वाभिवान जागे और बिहार के हक के बारे में, हम सब एक होकर, एक जुट होकर लड़ाई लड़े और यह जो सुखाड़ की जो स्थिति है, यह सुखाड़ की स्थिति भयावह स्थिति है, इसकी गंभीरता को देखते हुये मजदूरों के स्थिति को देखते हुये, किसानों की स्थिति को देखते हुये, बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय । यही कहना था महोदय ।

श्री भाई बीरेन्द्र : सभापति महोदय, लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग बिहारी नहीं हैं, ये गुजराती हैं, हमको ऐसा लगता है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महादेय, आज महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा होनी है, मैं आसन को धन्यवाद देना चाहूंगा साथ ही साथ सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि विपक्ष की मांग के तुरत बाद सरकार ने घोषणा किया कि हम सुखाड़ पर चर्चा

कराने के लिये तैयार है । मैं अपने पार्टी के सचेतक को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया । सभापति महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने आज कहा और उन्होंने परसों रोज भी कहा था कि बाण सागर से सोन सिस्टम को एक बून्द पानी नहीं मिल रहा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है महोदय या तो उनको जानकारी नहीं है, नहीं तो फिर ये जानकारी रखते नहीं या नहीं तो इनको जानकारी है, जानबूझ कर सदन को गुमराह करना चाहते हैं । आज महोदय, बाण सागर से 10 हजार 128 क्यूसेक निर्बाध पानी सोन सिस्टम को मिल रहा है । रेहंद से, बता रहे हैं, रेहंद से महोदय, रेहंद से 1 हजार 97 क्यूसेक पानी मिल रहा है महोदय, हमारे सोन सिस्टम को चलाने के लिये महोदय । 14 हजार क्यूसेक पानी की आवश्यकता है महोदय आज हमारे, आज हमारे इन्द्रपुरी बराज में महोदय, 21 हजार क्यूसेक पानी वर्त्तमान में है महोदय, हम अपना कम भर पानी ले रहे हैं कैनाल में, शेष 11 हजार क्यूसेक पानी नदी में गिरा रहे हैं महोदय, पानी का कोई अभाव नहीं है महोदय । हमारा जो बाण सागर में वनफोर्थ की ही हिस्सेदारी है महोदय, बिहार को हिस्सेदारी मिल रही है महोदय, निर्बाध मिलेगा और आज सदन में बतलाना चाहता हूॅं महोदय कि अगर 15 दिन भी बारिश हो गई तो बिहार के हर खेत को हम पानी देने का काम करेंगे, पानी के अभाव खेती मरने नहीं देंगे महोदय ।

(व्यवधान)

महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा महोदय । बाण सागर की चर्चा करते हैं महोदय, कदवन तब नाम कदवन था, आज रेहंद के नाम है, आज इन्द्रपुरी के नाम से जाना जाता है महोदय, 1987 के बाद से लेकर 2005 तक इस फाईल को कोई छूने का काम नहीं किया । महोदय, आज कदवन की फाईल बढ़ी है और कदवन पर स्वीकृति हो गई है, कदवन बनेगा, हम कदवन से पानी लेंगे और किसानों के खेत में हम कदवन का पानी देंगे । महोदय, 15 साल में महोदय एक छोटा-सा पैमल कैनाल नहीं बना सके, 15 साल में चौसा का पम्प हाऊस नहीं बना सके महोदय, वह चौसा का पम्प हाऊस गंगा में बन गया है महोदय, पैमल कैनाल महोदय अब बनकर तैयार होने जा रहा है महोदय, हम 5700 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी सोन से लेकर के किसान के खेत में पहुंचा सकते हैं महोदय, यह काम कर रही है सरकार महोदय । आज तियरा बन रहा है महोदय, जयपुरा बन रहा है महोदय और माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम धरहर पम्प कैनाल को भी बनायेंगे, मुझे विश्वास है कि जो सरकार कहती है उसको कर के दिखाती है महोदय । महोदय, सिंचाई के लिये, सिंचाई के लिये नहरों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिये, महोदय बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये, 2005 से पहले महोदय बिहार में बिजली की उपलब्धता थी 800 मेगावाट, 900 मेगावाट और

इसी महीने में महोदय हमने पांच हजार मेगावाट बिजली बिहार में खर्च कर दिखाने का काम किया है महोदय । लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है और बिजली के क्षेत्र में महोदय मैं बेहिचक कह सकता हूँ आजादी बाद से लेकर अब तक जितना काम बिजली के क्षेत्र में हुआ है महोदय मात्र चार साल उतना काम अकेले हुआ है महोदय और बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है महोदय । हम हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं महोदय, महोदय, हमारे सभी सिस्टम, दुर्गावती जलाशय योजना महोदय, दुर्गावती जलाशय योजना जो एक मुद्दा बन कर रह गई थी, इस सरकार ने दुर्गावती जलाशय योजना को चालू किया है । दुर्गावती जलाशय योजना से किसानों को पानी मिल रहा है महोदय, हर क्षेत्र में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, जहां तक हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अच्छी बात कहा इन्होंने कि हम मिलकर पूरा सदन मिलकर इस सुखाड़ का मुकाबला करे, कहते तो जरूर है हमारे नेता प्रतिपक्ष लेकिन चूक जाते हैं महोदय । परसों शराबबन्दी पर विधेयक आया था महोदय, सबने एक साथ संकल्प लिया था हाथ उठाकर महोदय कि हम न शराब पियेंगे और पीने से लोगों को रोकेंगे, अपने संकल्प को तोड़कर ये लोग बाहर चले गये महोदय । साथ नहीं दिये महोदय, अपने ही संकल्प को तोड़कर सदन से बाहर चले जाते हैं महोदय । कल महोदय,

(व्यवधान)

महोदय, कल दहेज प्रथा पर विधेयक आया था, कल नेता प्रतिपक्ष रहते, इनकी शादी भी नहीं हुई है कल घोषणा करते कि मैं बिना दहेज का शादी करूंगा तो बिहार के नौजवानों के बीच यह संदेश जाता, उसको भी छोड़कर भाग गये, आप कितना चूकियेगा और आप आज हमारी सरकार को चुनौती दे रहे हैं ? आप चुनैती दे रहे हैं हमारी सरकार को ।

क्रमशः

टर्न-8/ज्योति/25-07-2018

क्रमशः

श्री अशोक कुमार सिंह : आप जो चुनौती दे रहे हैं हमारी सरकार को... आपलोग चुनौती दे रहे हैं हमारी सरकार को ।

(व्यवधान)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : सभापति महोदय, इनका इलाज करवाईये उठने बैठने का, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह : आप जो चुनौती दे रहे हैं हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री प्रकृति के भी चुनौती को स्वीकार किया है और अपने मेहनत के बल पर प्रकृति ने जो संकट लाया था बिहार में उससे भी उबारने का काम किया है । आपकी चुनौती सरकार ने स्वीकार किया है और आज से 15 दिन पहले से सरकार इस काम में लगी है और मुझे विश्वास है कि अगर बिहार सुखाड़ में जायेगा तो यह सरकार बिहार के किसानों को और मजदूरों को किसी भी तरह से तंग और तबाह नहीं होने देगी और आवश्यकता पड़ेगी तो बिहार के खजाना को खोलकर बिहार के किसानों को देने का काम करेगी । यह सरकार पीछे नहीं रहने वाली है । मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह ): माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, आज जिस विषय पर हमलोग यहॉ विचार विमर्श कर रहे हैं सचमुच में किसी एक पक्ष, एक दल की बात नहीं है । ये बिहार की बात है और इसपर बिना किसी दुराग्रह और बिना किसी भेद भाव के हमलोगों को बात करनी चाहिए लेकिन अपने राजनीतिक जीवन काल में, हम यह समझने को बाध्य हो रहे हैं कि सिर्फ हमलोग कहते हैं । कैसे सुखाड़ से निजात पाया जाय, दूरगामी प्लानिंग क्या हो सकेगी इसपर हमलोगों ने बात नहीं की है । बिहार जाहिर सी बात है कि दो भाग में बंटा हुआ है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार । एक तरफ उत्तरी बिहार में बाढ़ की विभीषिका है तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की विभीषिका है और आज यह सही है कि कृषि योग्य पानी मिले न मिले वह तो अलग बात है तो हम समझते हैं कि जिस प्रकार से दस फीट से लेकर पन्द्रह फीट तक ग्राउन्ड वाटर लेवेल नीचे चला गया है दक्षिणी बिहार में, बिहार सरकार को पेय जल व्यवस्था करनी पड़ेगी मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए भी इसपर हमलोगों को विचार करना चाहिए । महोदय, आज हमलोग किसान को पानी, बिजली देने की बात करते हैं । हम समझते हैं, हम चार्ज नहीं करते हैं, हम दिल की व्यथा से कहना चाहते हैं कि अगर यह सरकार संवेदनशील होती तो जितना बनावट मे पैसा इतना खर्च किया गया हजारों करोड़ रुपया अगर वह पैसा खर्च करके, उससे कम में, आज बिहार के किसानों को फ्री बिजली करने का अगर ये डिसीजन लेते तो हम धन्यवाद देते । आज क्या कारण है, बिजली पर कितने पैसे की आमदनी होती है आज इसके चलते किसान कितना व्यथित है यह सोचने की बात है । हम कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहॉ पर किसानों को फ्री बिजली मुहैय्या की बात आती है । आप पॉच हजार मेगावाट बिजली दे रहेहैं कि चार हजार मेगावाट बिजली दे रहे हैं वह अलग बात है लेकिन किसान किस दुश्वारियों में काम कर रहा है यह सोचने की बात है । महोदय, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि दक्षिणी बिहार को अगर ग्रउन्ड वाटर लेवेल पानी मुहैय्या कराना होगा तो निश्चित है कि दक्षिणी बिहार में

पानी की कोई परमानेंट व्यवस्था हमको करनी होगी  और इस दृष्टिकोण से हम अपने संक्षिप्त समय काल में गया में फल्गू नदी में एक बिथो बांध की चर्चा हमने की थी । प्रेम बाबू जानते हैं । सबसे पहले इन्हीं की मुखारविन्द से हम बिथो बांध की बात सुनी थी । आज अगर बीथो बांध हमलोग लगा देते और सोन से वितरणी ला करके उसमें पानी गिरा देते और वहॉ से मोकामा टाल तक हमलोग अगर नहर दे देते तो दक्षिणी बिहार का सात आठ जिला में आज सुखाड़ की नौबत नहीं आती, हर तरह से वहॉ पर लोगों को पानी मिलता और किसान खेती करते । आज  ठीक तो आंकड़ा दिया जा रहा है कि का बरसा जब कृषि सुखानी । यह हमलोग मगध में कहते हैं कि भोज पर कोहड़ा रोपाता है  क्या तो आज यह सरकार भोज पर कोहड़ा रोप रही है । करना चाहिए पहले लेकिन आज है कि ठीक कहा गया कि ट्युब वेल्स माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला में कितने ट्युबवेल हैं कितने चालित है जरा  मुख्यमंत्री के मंत्री लोग बतला दें हम समझते हैं कि वहॉ 90 प्रतिशत ट्युबवेल सब गायब है । गायब होने का मैकेनिक्ल के साथ साथ ग्राडन्ड वाटर लेवेल पानी नहीं मिल रहा है जिसके चलते सब बंद है तो आखिर उसको पानी देने की तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो रही है और आज जब सुखाड़ की बात आ गयी है, तब सोच रहे हैं, पहले क्यों नहीं सोचा गया था । आज जब सुखाड़ से निवृत हो जाय या फिर बरसात आ जाय तो उस समय भी अगर हमलोग प्री प्लानिंग करके अगर सुखाड़ से निपटने के लिए परमानेंट व्यवस्था करे जिसमें  सारे ट्युबवेल्स हैं, सब ट्युबवेल्स को अगर हमलोग ठीक कर दें या जैसा मैंने कहा कि दक्षिणी बिहार में सोन से उत्तर कोयल से, नौर्थ कोयल से जो भी हो, जहॉ से पानी लाने की व्यवस्था करके दिया जाय मोकामा टाल तक अगर गिराया जाय तो हम समझते हैं कि आपका बक्सर है, औरंगाबाद है, गया है, जमुई है और लखीसराय है ये सारे नवादा है, नालन्दा है सबको पानी मिलने की संभावना बन सकती है तो इस परमानेंट योजना पर बिहार सरकार को कितना पैसा खर्च हो सकता है । ललन बाबू बैठे हुए हैं । यही गए थे कि उसको हमलोग बांध करके पानी लायेंगे तो सात सौ करोड़ रुपया खर्च होगा । आज सात सौ करोड़ रुपया खर्च होकर उसमें अगर उसमें पानी ले आते तो कम से कम सात आठ जिला जिसमें ललन बाबू का भी जिला आता है उसमें पानी की कोई कमी नहीं होती  तो हम एक तरफ हजारों हजार करोड़ रुपया बनावट पर दिखला रहे हैं, दुनिया को दिखला रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं । हमारे यहॉ सुशासन है, हम बहुत ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान भूखे मर रहे हैं । आज मजदूरों के लिए पलायन की स्थिति है । आप समझते हैं कि कितने मजदूर पलायन किए और मजदूर जब पलायन किए तो क्यों किए इसलिए कि उसको काम नहीं मिल रहा है और काम क्यों नहीं मिल रहा है चूँकि वहॉ सुखाड़ की परिस्थिति बनी हुई है और मजदूर चाहे जयपुर में गया हो या अन्य जगहों में गया हो उसको वहॉ भेंड़

बकरी की तरह से रखा गया है, जान मारा गया है और उसके बाद यहाँ भेजा गया है, केस मुकदमा हुआ है । इसतरह से हमारे किसान और मजदूर दोनों त्रस्त हैं । इसलिए महोदय, हम संक्षेप में यही कहेंगें कि दक्षिणी बिहार को अगर पानी देना है तो एक तो सुखाड़ से निपटने के लिए और दूसरी तरफ से पर्यटन के विकास के लिए बिथो बांध को बनाया जाय और बिथो बांध को वहाँ घोड़ाघाट के नजदीक में निलाजन नदी में सोन नदी से वितरणी लाया जाय और फिर बिथो से लेकर के मोकामा में हजारों हजार एकड़ जमीन है और खुद जानते हैं ललन बाबू उधर ही के रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों की मांग है कि एक फसला हमलोगों के यहाँ फसल होती है अगर इसको दो फसला कर दिया जाय तो हम को सरकार से किसी प्रकार के सेवा की जरुरत नहीं है एकदम लौजिकल बात को हमलोग बोलते हैं अगर इन चीजों को करके कितना लगेगा सात सौ आठ सौ करोड़ की बात है जब हजारों करोड़ लगा सकते हैं बनावट में हजारों करोड़ सुपरफिशियली हम एक बिहार की अस्मिता दिखलाने के लिए कि यह बिहार की अस्मिता है तो ''होठो पर पान की लाली मगर पेट दूध घी से खाली'' वही स्थिति आज बिहार की बन गयी है । मुख्यमंत्री जी की बात हो रही हे इसलिए परमानेंट निदान किया जाय जिससे कि सुखाड़ की स्थिति से हम निपट सकते हैं तो इसके लिए बिथो बांध निर्माण, सोन नदी से वितरणी लाकर के मोकामा तक नहर निर्माण होनाा चाहिए । दूसरी बात कहना चाहते हैं कि किसानों को हर बजट को हर प्लानिंग को कम कीजिये और उसके बाद कम से कम किसान के दस एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ कर दीजिये और जितना आज लोन है माफ कीजिये और सबसिडी दीजिये और इसतरह से कीजियेगा तो किसान को फायदा होगा और किसान के साथ साथ हम समझते हैं कि पशुधन भी हमारे हैं । जंगल की अबाध कटाई हो रही है उसको रोका नहीं गया है । लगा रहे हैं पेड़ पौधा, हम समझ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो जानवर हैं हमारे जो पशु हैं आज चारा के लिए बहुत इधर उधर की बात कर रहे हैं इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चारा व्यवस्था के लिए व्यवस्था करे और परमानेंट निदान सोचे । टेम्पोरेरी बात आज कर देते हैं, कल भूल जाते हैं ठीक ही तो कहा गया हमलोग कहते हैं ''आते आदर नहीं दिया, जाते दियो न हस्त इससे दोनों गए पाहुन और गृहस्थ'' आज अदरा चला गया, रोहन चला गया, आज बारिश नहीं हुई है । ऐसे भी अब पाँच छः दिन रोपनी का समय रह गया तो क्या आप कीजियेगा आज को तो निश्चितरुपेण निर्णय ले लेना चाहिए पहले ही जिस समय पचास प्रतिशत से कम हमलोग की वर्षा हो पायी थी उसी दिन सोच कर सुखाड़ घोषित करना चाहिए था इसलिए आज सभी सदन के साथियों से भाईयों से अनुरोध करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बिहार सरकार हर हालत में बिहार को बिना समय गंवाये सूखाग्रस्त घोषित करे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह ) : माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव जी ।

टर्न-9/25.7.2018/बिपिन

श्री विनोद प्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, आज बिहार के किसान बिहार में विधान सभा के माननीय 243 सदस्य उनके लिए क्या सोच रहे हैं, इस बात की ओर निगाहें लगाए हुए होंगे, मैं आसन को और माननीय मुख्यमंत्रीजी को अपने तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं । किसानों को क्या-क्या सुविधा बिहार सरकार दे रही है और किसान....

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

तो मैं बतलाना चाहता हूं कि बिहार के जो किसान हैं वह बिहार की आत्मा हैं । जब तक हमारे किसान, मजदूर खुशहाल नहीं होंगे तो बिहार की तरक्की बेमानी है और महोदय, जैसा कि हमलोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी नवम्बर 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए और सत्ता प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उन्होंने घोषणा किया कि बिहार की सरकार में जो बिहार का खजाना है उसपर सबसे पहले अधिकार आपदा पीड़ित का होगा, सूखा पीड़ित का होगा, उसके बाद ही कोई विकास का काम होगा । इसलिए जो लोग आज किसानों के हित की बात कह रहे हैं उनके संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि -

जब भी आप दूसरे पर तवसिरा किया कीजिए,<br>
सामने जरूर आइना रख लिया कीजिए ।

अध्यक्ष : विनोद जी, अब समाप्त करिए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: महोदय खड़े हुए हैं केवल ।

अध्यक्ष : अभी खड़े हुए हैं इसीलिए तो बैठने के लिए कह रहे हैं । नहीं खड़े होते तो बैठने कैसे कहते ।

श्री विनोद प्रसाद यादव:ठीक है महोदय । मैं आपके आसन का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने किसानों के प्रति जो काम किया है, बिहार के किसानों को प्रगतिशील बनाने का जो काम किया है, राष्ट्रीय पहचान बनाने का काम किया है, बिहार के मुख्यमंत्री जी आपदा से जूझ रहे, सूखा से जूझ रहे किसानों के लिए बिहार के भरपूर खजाना को खोलने के लिए तैयार हैं । लोग देखेंगे कि बिहार के किसानों को कितना और किस रूप में सहयोग पहुँचाया गया । मैं मुख्यमंत्रीजी के प्रति, सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज सूखा पर जो विशेष वाद-विवाद आयोजित कर बोलने का जो आपने अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बात केवल, महोदय, एक मिनट का समय मैं आपसे चाहता हूं, ज्यादा नहीं । हमारे कवि नीरज ने कहा है -

अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए

जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए
जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर,
फूल इस किस्म का हर समद खिलाया जाए ।
आज बहती है यहां गंगा में, झेलम में भी,
कोई बतलाए कहां जाकर नहाया जाए,
कहां जाकर नहाया जाए ।

अध्यक्ष : विनोद जी, यहां तो सोन और कोसी की बात है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : एक मिनट सर ।

प्यार का फूल हुआ ही क्यों,
यह समझने के लिए हर अंधेरे को उजाला में बुलाया जाए ?
मेरे दुख-दर्द का तुझ पर हो असर
कुछ ऐसा मैं कहूं ....

अध्यक्ष : ठीक है, समाप्त कीजिए । श्री सुदामा प्रसाद । तीन मिनट में आप समाप्त करिए ।

(व्यवधान)

अब समय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

सरकार ने बिहार के किसानों को भगवान और बिचौलियों के भरोसे छोड़ दिया है । जब अदरा नक्षत्र में बारिश नहीं हुई, उसी समय सरकार को डीजल सबसिडी की घोषणा करनी चाहिए थी । मैं समझता हूं कि इस विलंब के लिए सरकार को बिहार के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करें । 31 जुलाई का इंतजार नहीं करे सरकार । तत्काल बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए । किसानों को प्रति एकड़ कम-से-कम पैतालिस हजार रूपए का मुआवजा दिया जाए । बटाईदार किसानों का फोन आ रहा है कि उनको डीजल सबसिडी लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा । सरकार यह घोषणा करे कि बटाईदार किसानों को सबसिडी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ।

दूसरी बात यह रखना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी ने जो सुझाव दिया है कि सुखाड़ से निपटने का स्थाई प्रबंध, हम तो तीन बजट सेसन में, महोदय देख रहे हैं कि एक ही आंकड़ा रहता है कि इतने सरकारी नलकूप बंद हैं । खुल क्यों नहीं रहे हैं ? हर साल उसके लिए फंड एलौट होता है और जो कदवन जलाशय है अगर उसको ...

अध्यक्ष : ठीक है । श्री ललन पासवान । एक मिनट में बात रखिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : तीन मिनट कहां हुआ है महोदय ?

अध्यक्ष : हो गया है आपका । आपको बोलने में अंदाज नहीं रहा । तीन मिनट हो गया है ।

श्री सुदामा प्रसाद : पांच मिनट समय है महोदय ।

अध्यक्ष : आपको बोलने में अंदाज नहीं मिला । आप तो कितना अच्छा सार तत्व अपनी मांग का रख रहे थे, फिर आप दूसरी-तीसरी तरफ बहक जाते हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान : महोदय, विपक्ष के रामदेव बाबू कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, महोदय 40 साल, 45 साल से देश में कांग्रेस राज्य की है । मेरे यहां दुर्गावती नहर 14 जनवरी 1976 को स्वर्गीय जगजीवन बाबू ने शिलान्यास किया था । 30-35 साल हो गया, दुर्गावती नहीं बना था । एन.डी.ए. की सरकार में शुरू हुआ । महोदय, कदवन 1927 से लंबित है । कदवन, जिस जिला के सुखाड़ की बात कर रहे हैं और आज तक कदवन नहीं बना । नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में कदवन की स्वीकृति हुई । महोदय, कोसी, गंडक, से लेकर चीन से लेकर नेपाल तक आने वाली नदियां, उनकी सरकार ने, नेहरू जी से लेकर अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, नरेन्द्र मोदी जी पहली बार शुरूआत किए हैं और नदियों को अगर बांध दिया जाता तो यह ब्राढ़ और सुखाड़ दोनों बंद हो गया होता महोदय और आज नदियों को बांधा जाता है तो आज जो 5500 मेगावाट बिजली बिहार में खपत हो रहा है, 85 हजार मेगावाट कोसी और गंडक को बांधने के बाद उत्पादन हो सकता है । यह भारत सरकार और बिहार सरकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है।

महोदय, इधर जो लोग हैं, इनको मौका मिला । आज तक बिहार बाढ़ सूखाड़ से प्रभावित रहा और जिसपर चर्चा कर रहे हैं बाढ़-सुखाड़ का अनुदान नहीं मिला 1952 से लेकर अभी तक । नरेन्द्र मोदी की अगुआई में, नीतीश कुमार, सुशील मोदी की अगुआई में विकास का जो रास्ता प्रशस्त हुआ है, निश्चित तौर से हम आपको धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का इस बहस पर उत्तर होगा और इसमें मूल कृषि मंत्री ....

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी था..

अध्यक्ष : आपका टाइम तो अब खत्म है । दे दीजिएगा जो लिखा हुआ है वह ।

मूल उत्तर सरकार की तरफ से कृषि मंत्री देंगे लेकिन उसके पहले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री हस्तक्षेप करेंगे । सबसे पहले

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा जी । पांच मिनट में विभाग की तैयारी की बात कीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विमर्श में मुझे भी शामिल किया है ।

अध्यक्ष महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है । वो लोग तो मजाक से बोलते हैं लेकिन पूरे बिहार की जनता जानती है कि डबल इंजन में क्या स्पीड है विकास का और हर समस्याओं के समाधान के लिए क्या कोशिश हो रही है और जब वो बोलते हैं तो बिहार की जनता का मुँह चिढ़ाते हैं और बिहार की जनता इसका सबक देती रही है, आगे भी देगी ।

अध्यक्ष महोदय, जब आपदा की बात हुई, जब मुख्यमंत्री जी को लगा कि ऐसा लगता है कि बारिश कम हुई है, उन्होंने तुरत हमलोगों की मीटिंग बुलाई और कहा कि आपलोग धन की चिंता नहीं करिए । यह डबल इंजन की सरकार है । सुशील मोदी जी बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और जितने भी धन की आवश्यकता होगी आपदा में, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी और जो योजना आप बनाना चाहें, बनाएं और सारे विभाग इसमें लग गए हैं और इसका रेकर्ड है हमारा । क्रमशः

टर्नः 10/कृष्ण/25.07.2018

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री क्रमशः  इस राज्य में जब आपदा आती थी तो वह किस चीज के लिये प्रसिद्ध होती थी । अध्यक्ष महोदय, होती थी कि पूरा का पूरा आपदा गांधी मैदान से चला और वह गांव तक पहुंचा नहीं, लूट लिया । जो कलक्टर गोस्वामी मेधाश्री एवार्ड पाया था, उसको जेल जाना पड़ा । इसलिए कि उस समय घोटालेबाजों की सरकार हुआ करती थी । महोदय, जब 2005 में यह सरकार बनी और 2007 में बाढ़ आई और नीतीश कुमार जी ने कहा, उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, न ही किसी धर्म का नाम लिया कि इसका हक है बिहार के खजाने पर । उन्होंने कहा कि बिहार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है । आपदा पीड़ितों के लिये जो भी करना होगा, बिहार सरकार करेगी और उनका नाम क्वींटल बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गया । बिहार की जनता ने पहली बार देखा कि आपदा में एक-एक क्वींटल अनाज दिया जाता है, घोटाले नहीं होते, तरह-तरह के लोगों को जेल जाने की नौबत नहीं आती है और इसका परिणाम हुआ कि 2008 में कुसहा बाढ़ के बाद जिन-जिन गांवों में बाढ़ का पानी आया था और उन-उन गांवों में हमारे वोट में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी और यह करिश्मा है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी और श्री सुशील कुमार मोदी जी का । अध्यक्ष महोदय और इसी अनुरूप हमलोगों ने सारी योजनायें बनायी है, पी0एच0ई0डी0 की जिम्मेवारी है पेयजल की । हम शुद्ध पेयजल के लिये पूरी व्यवस्था

में लगे हुये हैं, सिर्फ इन्सान के लिये ही नहीं, ईश्वर न करे कि यहां सूखा हो । हमलोगों ने तैयारी शुरू की ।

( व्यवधाान )

महोदय, वर्षा भी शुरू हो गया है । लेकिन यदि कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो सरकार पूरी तरह तैयार है, सरकार हर मोर्चे पर तैयार है । महोदय, हमने पूरी व्यवस्था कर ली है । इन्सान के लिये पेयजल कैसे पहुंचायें, पशुओं के लिये जल की व्यवस्था कैसे करें, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गयी है । महोदय, हमने तय किया है कि यदि आ गयी तो जितने हमारे 1 लाख 16 हजार चापाकल बंद हैं, उनकी मरम्मत की लगातार कोशिश हो रही है ।

( व्यवधान जारी )

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाई वीरेन्द्र जी, आपके व्यवस्था के प्रश्न से अव्यवस्था हो रही है । इसलिए आप बैठ जाईये ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनको बीमारी है, इनका ईलाज कराईये । इनकी सीट में स्प्रिंग लगा हुआ है । बार-बार उठते हैं, बैठते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी व्यवस्था की है । पहले हर प्रखंड में तय किया था कि उसकी शुरूआत की जाय, मरम्मत की जाय और उसकी मरम्मति शुरू की थी लेकिन ज्योंहि लगा कि प्रत्येक ब्लौक में दो से तीन हमारे गैंग चल रहे हैं जो चापाकल की मरम्मत कर रहें है, मरम्मत ही नहीं, यदि ऐसी परिस्थति पैदा हुई ।

(व्यवधान जारी)

यदि वैसी परिस्थति पैदा हुई तो 4200 नये चापाकल गाड़ने का हमने निर्णय लिया है । महोदय, हम 4200 चापाकल हम नया गाड़ेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे । अध्यक्ष महोदय, ये परेशान हैं, इनको क्या पता कि विकास क्या होता है, जिनलोगों ने चीनी मिलों को बंद कर दिया, वह चीनी मिल की बात करता है ।

(व्यवधान जारी)

जिनलोगों ने किसानों को बर्बाद किया, उसकी बात करते हैं । इनलोगों ने बर्बाद करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, हमने इन्सानों के लिये तय किया है कि पूरे बिहार में यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो हम वाटर टैंक की व्यवस्था करेंगे । माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी याद दिला रहे थे । हमने 42 करोड़ की लागत से 1500 ऐसे स्थान निर्धारित किये हैं, जहां पशुओं के लिये पानी की व्यवस्था करेंगे, पशुओं को पानी के अभाव में मरने नहीं दिया जायेगा । 1500 स्थान निर्धारित किये थे, उन स्थानों पर हम पानी की व्यवस्था करेंगे और इन्सानों के लिये हमने 500 नये टैंकर खरीदने का निर्णय लिया है और अपने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित

कर दिया है कि आप स्थान का निर्धारण कीजिये, जगहों का निर्धारण कीजिये, किसी को पानी के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, न इन्सान को और न पशुआअें को । हर जिले में हमने खोल दिया है, हमारा विज्ञापन भी प्रकाशित हो गया है । यह देख लीजिये । हर जिले में कंट्रोल रूम खुल गया है । जिसको पानी की जरूरत है, जिसको पशुओं के लिये चारे की जरूरत है पशुओं के लिये पानी की हमारी व्यवस्था पूरी तरह हमारा विभाग कर रहा है और नीतीश कुमार और सुशीली कुमार मोदी जी की सरकार बिहार में आपदा से निबटने के बाद, इसका बाकी जिलों में कीर्तिमान स्थापित करती रही है, इसका भी कीर्तिमान स्थापित होगा ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये । माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन श्री दिनेश चन्द्र यादव जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे । खाली चापलूसी कर रहे थे । केवल और केवल चापलूसी ।

अध्यक्ष : चलिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : महोदय, पूरी बात सुन ली जाय । कोई काम की बात नहीं। केवल और केवल झूठ । झूठ के अलावा और कुछ नहीं । विज्ञापन दिखा रहे हैं अखबारों का । चार महीना पहले दिखाते तो अच्छा लगता । आपलोगों की तैयारी पहले से होती तो ज्यादा अच्छा लगता । अब जब किसान मर रहे हैं, तब आपलोगों की नींद खुली है । अब जाकर आप इन्जीनियर्स को निर्देशित कर रहे हैं कि ट्यूब वेल ठीक कर दो, बोरिंग ठीक कर दो । अगर हमलोग आपको जगाते नहीं तो आपको यह भी याद नहीं रहता कि पूरा चापाकल और पूरी सिंचाई की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है । महोदय, झूठे लोग हैं ये ।

अध्यक्ष : अब हो गया । नेता,प्रतिपक्ष अब आप बैठ जाईये । माननीय मंत्री श्री दिनेश चन्द्र यादव जी इधर देखिये और शुरू कीजिये ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन में आज सुखाड़ पर चर्चा हो रही है जिस पर पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी । लेकिन उसी में से कुछ बातें यह आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चिन्ता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि सभी लोग जानते होंगे कि सुखाड़ घोषित करने के लिये जून से लेकर अगस्त तक वर्षापात पर प्रतिवेदन अगर 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की कमी हो । दूसरा, खरीफ फसल का आच्छादन 31 अगस्त तक 50 प्रतिशत से कम हो । यह भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश में यह तय हुआ था और भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा कहा गया कि आपदा इस समय तक आप देख लीजिये जो मापदंड है, उसके अनुरूप होना चाहिए तो सुखाड़ घोषित किया जायेगा। महोदय, लेकिन उससे स्थिति भिन्न है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने

उनको अनदेखी करके कई बार क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था । मुख्य सचिव के स्तर पर तीन बार बैठक हुई थी - 6 जुलाई, 2018, 13 जुलाई, 2018 एवं 30 जुलाई, 2018 और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बैठक किये थे दिनांक 16 जुलाई, 2018 एवं 22 जुलाई, 2018 को । सुखाड़ जब हम घोषित करेंगे तो उसमें हमको क्या-क्या करना है, सारी तैयारी एवं सभी बातों की चर्चा उन्होंने की और उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया कि स्थिति ठीक नहीं है, बारिश कम हो रही है इसीलिये इस पर तैयारी करनी चाहिये और विभाग को जो उन्होंने निर्देशित किया, उसी के आलोक में जो-जो विभाग सम्मिलित होंगे, आपदा प्रबंधन के हो, चाहे और विभाग जो सुखाड़ से प्रभावित होने पर जिन-जिन विभागों की आवश्यकता होगी, उसको तुरंत उन्होंने कहा कि आप संभावित राशि बताईये , सिर्फ बताईये ही नहीं बल्कि उसको कैबिनेट में लाकर उसकी आप मंजूरी ले लीजिये । पी0एच0ई0डी0 में 42.21 करोड़, आपदा प्रबंधन में 21.00 करोड़ रूपया, डीजल अनुदान के लिये ।

(व्यवधान)

शुरू तो किया जाय इस राशि से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उधर क्यों देखते हैं ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : डीजल अनुदान के लिये 60.00 करोड़ रूपया, आकस्मिक फसल योजना के लिये 15.00 करोड़ रूपया कुल 138.21 करोड़, कैबिनेट जो हुई उसमें इसकी मंजूरी हो गयी । महोदय, सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर हमेशा बोलते हैं कि इस राज्य में सरकारी खजाने पर किसी का हक है तो सबसे पहले जो आपदा से परेशान लोग हैं, जो आपदा से दुखी लोग हैं, उनको सहायता देना चाहिये ।

क्रमश :

टर्न-11/राजेश/25.7.18

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री, क्रमशः... और पिछली बार बाढ़ आयी थी और उस बाढ़ में जो 22 जिला प्रभावित हुए, उन जिलों में ..............(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब एक मिनट में विभाग की तैयारी को कह दीजिये । आप बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो बाढ़ आयी थी और ऐसा नहीं होता था कि जब बाढ़ आता था, हमलोगों को लंबा अनुभव भी है, 1990 में भी हम विधायक हुए थे और उस समय कौन सरकार थी, सभी लोग जानते हैं.............

(व्यवधान)

हम भी उस समय थे और बाढ़ हमलोगों के इलाके में प्राय: आती है, कोशी नदी में पानी आने से तो मतलब यह है अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि किसान को या प्रभावित लोगों को परेशान होने की जरुरत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर उपर से सहायता आवे या उसमें समय लगे, अपने संसाधन से लोगों को सहायता उपलब्ध करायेगी ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री कृषि, श्री प्रेम कुमार ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर आज हम विधान सभा में चर्चा कर रहे हैं । इसमें महोदय, भाग लेने वाले हमारे सभी माननीय सदस्य जो हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष, श्री मेवा लाल चौधरी जी, श्री राघव शरण पाण्डेय जी, श्री रामदेव राय जी, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी, श्री अशोक सिंह जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, श्री विनोद कुमार यादव जी, श्री सुदामा प्रसाद जी, श्री ललन पासवान जी और माननीय मंत्री श्री विनोद नारायण झा जी और माननीय मंत्री श्री दिनेश चन्द्र यादव जी ने भाग लिया, तो महोदय सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखने का काम किया और महोदय हम कहना चाहते हैं कि राज्य में महोदय औसत से कम बारिश होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुआई में लगातार महोदय क्राईसीस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसमें हमलोगों को शामिल होने का मौका मिला, सरकार लगातार इस मसले पर गंभीर है, सरकार चिंतित है, 13 तारीख को जो बैठक हुई थी, राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से वीडियो कंफ्रेंसिंग करके कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी समीक्षा की थी, महोदय, सरकार की पूरी तैयारी है, फिर 22 तारीख को बैठक हुई है, लगातार हमारे अधिकारी बैठक कर रहे हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लगातार बैठकें हो रही हैं और महोदय कुल मिला कर जो हालात हैं और उस हालात से निबटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और अभी इस सरकार ने महोदय घोषणा करने की बात हो रही है सुखाड़ के बारे में, तो महोदय जो परिस्थिति बनेगी, जैसा कि अभी मौसम बदल रहा है, हम देख रहे हैं कल रात से बारिश का मिजाज बदला हुआ है और कई जिलों में मैं देख रहा हूँ बक्सर, बेतिया, जहानाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, उसके बावजूद भी महोदय हमारी सरकार सुखाड़ की तैयारी कर चुकी है, हमने काम प्रारंभ कर दिया है और कृषि विभाग के द्वारा पहली बार डीजल सबसिडी में जहॉं पहले 35 रुपये का अनुदान हुआ करता था, उसको हमलोगों ने 50 रुपया देने का एलान किया है, पहले की सरकार में महोदय 6 महीने में सबसिडी मिलता था, उस व्यवस्था को हमने बदला और उसको ऑनलाईन तरीके से 25 दिनों के अंदर हम सबसिडी की राशि उपलब्ध कराने का काम हमलोग कर रहे हैं और महोदय यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी तक महोदय, राज्य में हमने 23 जुलाई को

माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 1194 किसानों को डीजल अनुदान की राशि को उनके बैंक खाते में एक सेकेण्ड में भेजने का हमलोगों ने काम किया है और महोदय अभी तक जो ऑकड़ा है, अभी तक किसानों के द्वारा डीजल अनुदान के लिए 20082 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, आवेदन ऑनलाईन मिल चुका है और उसमें महोदय 1194 किसानों को डीजल अनुदान की राशि दे दी गयी है, बैंक खातों में ऑलरेडी दिया जा चुका है, 594 किसानों का आवेदन बैंक में अग्रसारित किया जा चुका है और इसकी संख्या बढ़ता ही जा रहा है महोदय, सरकार की तैयारी है, हमने कंटिजेंसी प्लान में महोदय 15 करोड़ का हमारा आकस्मिक फसल के लिए था और 60 करोड़ डीजल के लिए था, हमने तैयारी की है 60 करोड़ क्या अगर डीजल अनुदान में 100 करोड़ रुपया भी हमें अनुदान में देना पड़ेगा, तो डीजल अनुदान देने के लिए हमारी सरकार तैयार है । महोदय, ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि बटाईदार को नहीं मिलेगा लेकिन हम बताना चाहते हैं सदन को और बिहार के किसानों को बताना चाहते हैं कि महोदय रैयत के साथ-साथ गैर रैयत को भी हम देने का काम करेंगे, ये लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हम याद कराना चाहते हैं इनलोगों को कि पिछले वर्ष महोदय, आपको याद होगा कि पूरा बिहार जब बाढ़ से जूझ रहा था और उस समय ये रैली कर रहे थे, पूरा बिहार जब बाढ़ से जूझ रहा था लेकिन ये लोग रैली करने का काम कर रहे थे................

(व्यवधान)

महोदय, सरकार का एलान है आकस्मिक फसल योजना के तहत सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है, अभी तक हमने तीन लाख 23 हजार 773 किसानों का ऑनलाईन आकस्मिक फसल योजना का लाभ दिया है महोदय, ये लोग पूरी की पूरी बात गलत रुप में सदन को पेश कर रहे थे । महोदय, आकस्मिक फसल योजना के तहत 13 जिलों में मक्का, अरहर पहुंचाने का काम किया है...............(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यगण अपनी सीट से बोलते हुए वेल में आ गये)

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि 28 तारीख तक बिहार सरकार के सभी प्रखंडों में जरुरत के हिसाब से आकस्मिक फसल योजना के तहत शुल्क 20 रुपया प्रति किसान कराने का काम किया है, हम तैयार महोदय है भारत सरकार से कहने और करने के लिए ।

महोदय, बिजली के मामले में महोदय उर्जा विभाग के द्वारा माननीय मंत्री विजेन्द्र यादव जी के पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलान किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो ट्रान्सफर्मर 72 घंटा में बदला जाता है, उसको 48 घंटा में बदलने का निर्णय लिया गया है, पहले महोदय 96 पैसा प्रति यूनिट जो बिजली का दर

था, उसको घटाकर 75 पैसा करने का काम किया है, सरकार राज्य के किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति कराने का काम कर रही है, सरकार तैयार है कि सुखाड़ के समय में और सुखाड़ से निबटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, यह हम सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं । महोदय, बिहार को 14 हजार क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, महोदय बाणसागर मध्य प्रदेश से 7 हजार 987 क्यूसेक पानी मिला है, उसी तरह से रेहंड उत्तर प्रदेश जहॉ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहॉ से 2493 क्यूसेक पानी मिला है, कुल मिलाकर 10480 क्यूसेक पानी मिला है, इसके अलावा अन्य श्रोतों से मिकलने वाले पानी को मिलाकर लगभग 30 हजार क्यूसेक पानी सोन नदी में आ रहा है, माननीय मंत्री ललन बाबू को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बेहतर पहल की है, जिसमें से कुल क्षमता के अनुरुप पूर्वी एवं पश्चिमी नहर में 24500 क्यूसेक पानी की व्यवस्था कराया जा रहा है तथा 14875 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया है............

(व्यवधान)

महोदय, हम कहना चाहते हैं की हमारी सरकार ने सारी तैयारी की है, इसी तरह से राज्य सरकार के द्वारा प्राईवेट परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नीति तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता दे रही है, उसी के तहत विगत पॉच वर्षों में 4412 नये तालाबों का निर्माण कराया गया है तथा 155 चेक डैम बनवाये गये हैं । इसके साथ ही मनरेगा योजना के तहत नये तालाबों का निर्माण भी कराया जा रहा है महोदय ।

क्रमशः

टर्न-12/सत्येन्द्र/25-7-18

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,मंत्री(क्रमशः): बिहार में राजकीय नलकूपों की संख्या 10242 है जिसमें से 4855 चालू है और जो चालू है वहां के लिए दैनिक मजदूर रखने का निर्देश महोदय हमलोगों ने दिया है और उसके अनुरक्षण के लिए 10 हजार रू0 प्रति नलकूप दिया गया है । साथ ही नलकूपों के ऑपरेटरों की कमी को देखते हुए उसके हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नलकूप जीविका समूह, किसान समूह, पैक्स, एन0जी0ओ0 को निजी व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। नलकूप हस्तांतरण के समय पहले 10 हजार रू0 जमा करने की आवश्यकता थी । दिनांक 22-7-18 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी संस्था को जमानतीय राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नलकूपों की मरम्मति के लिए एक व्यापक

अभियान चलाया जा रहा है। निजी नलकूपों के लिए बिहार राज्य शताब्दी निजी नलकूप योजना चलाया जा रहा है। नाबार्ड के माध्यम से सभी जगह सिंचाई योजनाएं चलायी जा रही है । इस तरह से महोदय लगातार लघु सिंचाई विभाग जो हमारा है, उस विभाग के द्वारा भी बेहतर काम किया जा रहा है । अभी माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने कहा है कि निश्चित तौर पर हम पीने का भू जलस्तर जो नीचे गिर गया है, उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पी0एच0ई0डी0 डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार महोदय इस बात की चिन्ता की जा रही है । साथ ही साथ महोदय जलाशयों के किनारे हमारी सरकार किसानों के साथ ही उनसे जुड़े पशुओं के प्रति भी संवेदनशील है और महोदय, सबसे अधिक संख्या यहां भैंस की है जैसा कि आप जानते हैं भैंस के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए सरकार ने मनरेगा के तहत अधिक से अधिक तालाबों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार पर ध्यान केन्द्रीत करने का निर्णय लिया है । जलाशयों के किनारे पशुओं के लिए शरणस्थली के निर्माण करने का भी निर्देश दिया गया है। नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं । गांव में कृषि कार्य के लिए 20 से 22 घंटा बिजली की आपूर्त्ति कराने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। महोदय, हम कहना चाहते हैं, हमारी सरकार ने इस विपदा की स्थिति में विभाग के द्वारा खेती में नुकसान की कमी को दूर करने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है । आकस्मिक फसल योजना के तहत बैकल्पिक फसलों के बीज की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत स्तर पर कृषि समन्यवक, किसान सलाहकार को किसानों से मिलकर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है । महोदय,जिस फसल के बीज की आवश्यकता होगी, उन फसलों का बीज संबंधित जिलों में भेज जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं, आकस्मिक फसल योजना के लिए 15 करोड़ राशि स्वीकृत है । वर्त्तमान में जिलों से प्राप्त आकलन के अनुसार 93 करोड़ की आवश्यकता होगी। किसानों को पंचायत प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर आकस्मिक फसलों के बीज उपलब्ध कराये जायेंगे । इसके लिए महोदय,बिहार राज्य बीज निगम द्वारा 2000 क्विंटल कम अवधि के लिए धान, 28500 क्वि0 मक्का, 22700 क्वि0 तोरिया (सरसों), 6300 क्वि0 ज्वार, 15200 क्वि0 मकई, 17200 क्वि0 अरहर, 17000 क्वि0 उड़द, 4000 क्वि0 बाजरा, 8600 क्वि0 कुलठी, 300 क्वि0 पालक,500 क्वि0 मूली का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा तत्काल 12 जिलों में महोदय पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्णियां में 2200 क्विंटल मक्का के बीज एवं 2 जिला नालंदा और समस्तीपुर में 10 क्विंटल अरहर के बीज की आपूर्त्ति के लिए आदेश जा चुका है।

( इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

इस प्रकार इन तेरह जिलों के अतिरिक्त शेष प्रखंडों में 28 जुलाई तक सभी फसलों के बीज की आपूर्त्ति किसान भाईयों को करा दी जायेगी। महोदय, किसानों को डीजल अनुदान फसलों के बीज के अलावे सरकार महोदय, हाल के दिनों में आपने देखा होगा, बिहार पहला राज्य है जहां किसानों के हित को देखते हुए, इस राज्य में छोटे किसान ज्यादा है महोदय, सीमांत किसान की संख्या ज्यादा है इसलिए हमारी सरकार ने किसानों के हित में ...

अध्यक्ष: राजेश जी,सदन को व्यवस्थित रहने दीजिये।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री: महोदय, हम कह रहे थे, ये चले गये । इनको हम याद कराना चाहते थे । इनको तो काम में विश्वास है नहीं, हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है । संकट की घड़ी में हमारी सरकार जाकर खड़ी है । इनको हम याद कराना चाहते हैं पिछले साल जो बाढ़ आया था, बाढ़ आने के 24 घंटा के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सफल संचालन के चलते हमने कंट्रोल कर लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आये थे और उस बाढ़ की घड़ी में, ये लोग पटना में रैली कर रहे थे । पटना में रैली कर के जनता को धोखा देने का काम कर रहे थे । जब विपदा पड़ा तो रैली में ये लोग मस्त थे । गाना बाजाना कर रहे थे, किसानों की चिन्ता इन्हें नहीं थी, उस समय हमारे एन0डी0ए0 के कार्यकर्त्ता, माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुआई में, डिप्टी सी0एम0 की अगुआई में हमलोग जिलों में कैम्प कर रहे थे, 21 जिलों में जाकर के और हमलोग लगातार सरकार की व्यवस्था के साथ-साथ लगे थे। महोदय,माननीय प्रधानमंत्री जी भी आये थे, ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है ।महोदय, हमको वाणसागर से भी पानी मिल रहा है, रिहंद जलाशय से पानी मिल रहा है, आवश्यकता से अधिक सोन में पानी आ रहा है और ये किसान के बीच झूठ बात बोलकर अफवाह फैलाकर भ्रम फैलाना चाहते हैं । ये कहते हैं कि बटाईदार को नहीं मिलेगा । ऐसा नहीं है हम सदन के माध्यम से बिहार के किसानों को बतलाना चाहते हैं, सरकार का साफ रूख है, हम किसान के साथ-साथ रैयती किसान जो है, गैर रैयत है, दोनों को हम सारी सुविधा प्रदान करने का सरकार का फैसला है । इस तरह से महोदय ये गुमराह ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं । हमारी सरकार महोदय इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है । हमलोगों ने महोदय तय किया है। विधान-सभा महोदय कल तक चलेगा, कल के बाद महोदय, हमलोग विधान-सभा में नहीं रहेंगे, हम खेत खलिहान में सारे विधायक रहेंगे। हमारा किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, कृषि पदाधिकारी गांव में होंगे, खेतों में होंगे, किसानों के पास होंगे महोदय, हमारी योजना है, उस योजना का लाभ एक-एक किसान को हम दिलाने का काम करेंगे और हमारी सरकार महोदय, लगातार महोदय इस मामले में सजग है और सरकार चाहती है ऐसी परिस्थिति नहीं बने महोदय, यदि मौसम बदला तो भी

और नहीं बदला तो भी हर मुकाबले के लिए हमारी सरकार खड़ी है और किसानों को हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। आपने देखा 6-6 हजार रू0 किसान के खाते में भिजवाने का महोदय हमलोगों ने काम किया है। कैजुअल्टी जो महोदय हुई, उसमें भी हमलोगों ने महोदय एक-एक परिवार को ढ़ाई लाख भारत सरकार का और डेढ़ लाख राज्य सरकार का महोदय, तमाम परिवारों को जिनकी मृत्यु हुई थी सरकार ने देने का काम किया था । महोदय,हमलोगों ने पशुओं के लिए चारा का इंतजाम किया था । महोदय, हमारी पूरी तैयारी है, हमारा सारा जो विभाग है कृषि संबंधी जो किसानों से संबंधित जो हमारा विभाग है, चाहे पी0एच0ई0डी0 डिपार्टमेंट हो,आपदा प्रबंधन विभाग हो जल संसाधन विभाग हो या लघु जल संसाधन विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ये तमाम डिपार्टमेंट जो महोदय है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुआई में, माननीय डिप्टी सी0एम0 की अनुगाई में हम तमाम बिहार के किसानों को बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है और इनका महोदय जितना दिन तक शासन रहा,ये 15 साल की बात कर रहे थे, 15 साल इनको मौका मिला था, आपने कुछ नहीं किया, बिहार को कहां पहुंचाने का काम किया । आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जब आपको मौका मिला, आप काम नहीं कर पाये । आपने बिहार को कहां पहुंचाने का काम किया, हम तो इयके गवाह हैं महोदय, मैं तो चालीस वर्षो से राजीनति में हूॅ, इस हाउस का लगातार सातवीं बार सदस्य हूॅ । महोदय, मैं देखता था, 15 वर्षो का इनका शासन जो था, पूरी दुनिया ने देखा कि बिहार को कहां पहुंचाने का इन्होंने काम किया । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुआई में, डिप्टी सी0एम0 की अगुआई में आज बिहार आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ महोदय केन्द्र में हमारी जो सरकार है और केन्द्र सरकार भी बिहार की सरकार के साथ हर सुख दुख में खड़ी है, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हर मौके पर वह साथ खड़ी है। ये लोग पैकेज की बात कर रहे थे, पैकेज मिल रहा है, राशि खर्च हो रहा है, काम हो रहा है जिनको काम दिखता नहीं, उनको जनता दिखायेगी आने वाले समय में, काम जनता को प्यारा है, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, विकास हम विकास के रास्ते पर बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। हम देश के इस राज्य के 76 फीसदी जो किसान हैं उनका किसानों को पहली बार ऑनलाईन निबंधन कर रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मात्र 10 हजार आदमी का ही निबंधन हुआ है । महोदय, सच्चाई यह है, पढ़ने लिखने से मतलब इनको तो है नहीं, महोदय 3 लाख 23 हजार 773 हमारा डी0बी0टी0 पोर्टल पर ऑनलाईन हो गया है। यदि हमारा बयान गलत होगा तो जो विपक्ष कहेगा उसके लिए हम तैयार है। महोदय, ये बयान देते हैं कि 10 हजार का ही हुआ है और सच्चाई यह है। सब्सिडी की राशि महोदय लम्बे समय तक किसानों को दे रहे हैं।

(क्रमशः)

टर्न-13/मधुप/25.07.2018

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : ...क्रमशः... महोदय, आज इस मौके पर निश्चित तौर पर विधान मंडल के माननीय सदस्यों को अवगत कराने की अनुमति चाहता हूँ कि अगले दो-तीन दिनों में औसत से अधिक वर्षापात नहीं होती है तो राज्य सरकार सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करने से पीछे नहीं हटेगी । 31 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक में यदि आवश्यक हुआ तो उसी दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से बिहार को सूखाग्रस्त घोषित भी किया जायेगा । महोदय, निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से तैयार है और ठीक ही हमारे साथियों ने कहा कि इस संकट की घड़ी में खजाना पर पहला अधिकार उन पीड़ितों का है, सुखाड़ से जुड़े जो लोग हैं, हमारी सरकार की यह सोच है । निश्चित तौर पर महोदय, इस संकट की घड़ी में राज्य के अन्नदाता किसान भाई-बहनों के साथ पूरे हम एन0डी0ए0 के लोग, हमारे सारे मंत्री, माननीय विधायक, हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ता, हम सब मिलकर अब मैदान में जा रहे हैं किसानों के बीच, किसानों को कोई कमी नहीं होने देंगे, इसका हम विश्वास सदन को दिलाना चाहते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित महत्व के विषय पर विमर्श समाप्त हुआ ।

## प्रश्नोत्तर काल

अध्यक्ष : अल्प-सूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गये ।)

### अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-5 (श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में आवास निर्माण हेतु 18,02,633 (अठारह लाख दो हजार छः सौ तेतीस) लाभुकों में से अबतक 12,10,119 (बारह लाख दस हजार एक सौ उन्नीस) आवासों को पूर्ण किया गया है तथा 5,92,514 (पॉच लाख बेरानवे हजार पॉच सौ चौदह) आवास निर्माणाधीन अवस्था में हैं । इसे पूर्ण करने हेतु विभाग प्रयत्नशील है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अबतक 6,87,274 (छः लाख सतासी हजार दो सौ चौहत्तर) आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 45,514 (पैंतालीस हजार पॉच सौ चौदह) आवासों का निर्माण कार्य लाभुकों द्वारा पूर्ण किया गया है ।

योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार स्वीकृति के 12 माह के अंदर आवास का निर्माण कार्य लाभुक द्वारा स्वयं पूरा किया जाना है । द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि का भुगतान निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने पर निर्भर करता है ।

दिनांक 15.08.2018 तक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से 3 (तीन) लाख आवासों को पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाने का निदेश जिलों को विभागीय पत्रांक-376462 दिनांक-26.06.18 से दिया गया है ।

लाभुक आवासों का निर्माण समय पर पूरा करें इसके लिए उन्हें प्रेरित करने तथा हरसंभव सहयोग प्रदान करने हेतु ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक कार्यरत हैं । विभाग स्तर से उप विकास आयुक्त की मासिक बैठक एवं मुख्य सचिव के स्तर से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाती है । विभाग सभी निर्माणाधीन आवासों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने हेतु कृत संकल्पित है ।

3- कंडिका (1) एवं (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय......

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय......

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : एक मिनट मिथिलेश तिवारी जी । दूबे जी, क्या कह रहे हैं ?

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मुजफ्फरपुर के मामले में.....

अध्यक्ष : उसपर तो कल सदन भी स्थगित हुआ, सरकार का वक्तव्य भी हो गया । अब एक मुद्दे पर कितने दिन सदन में चर्चा होगी !

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, सरकार कह रही है...... (व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ, अपोजीशन पार्टी चाहती है कि इस घटना की सी0बी0आई0 जॉच करायी जाय । महोदय, जब सरकार कहती है...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर सरकार का उत्तर हो गया, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको सुनने का समय नहीं है, सुनने का साहस नहीं है, इस तरह से बात रखकर सदन का समय बर्वाद कर रहे हैं । इनको समस्याओं में कोई रूचि नहीं है, मुद्दा को सिर्फ उठायेंगे और सरकार का उत्तर होगा तो वाक-आउट ये कर जायेंगे ।

अध्यक्ष : मिथिलेश तिवारी जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

( व्यवधान )

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया कि 2012-13 तक 5 लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं जो अभी तक पूरा नहीं किये गये । अध्यक्ष महोदय, मैं एक सरकारी आंकड़ा पढ़ देता हूँ - वर्ष 2013-14 में 2,43,983 को सफेद नोटिस दिया गया था, 65,175 को लाल नोटिस दिया गया था, 9,733 पर नीलाम पत्र वाद दायर किया गया था और 92 लाभुकों पर एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब वर्ष 2013-14 में यह कार्रवाई हुई थी, उसके बाद इन्दिरा आवास पूर्ण क्यों नहीं हुये ? उसके बाद सरकार ने इन्दिरा आवास ससमय पूर्ण करने के लिए कौन-कौन सी कार्रवाई की ? यह माननीय मंत्री जी इस सदन को बतायें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से बताया कि 2012-13 से लेकर 2015-16 की अवधि में 18,02,633 आवास स्वीकृत थे, उसमें से हमलोगों ने जितना आवास पूर्ण कराया है, कहेंगे तो वर्षवार उनकी सूची उपलब्ध करा देंगे । 2012-13 में 4,98,102 हमने पूर्ण कराया है, 2013-14 में हमने 3,81,197 पूर्ण कराया है, 2014-15 में हमने 1,81,388 पूर्ण कराया है, 2015-16 में 1,49,450 पूर्ण कराया है। कुल मिलाकर 12,10,120 आवास को हमने पूर्ण कराया है ।

हम माननीय सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि आप इसमें थोड़ी रूचि लें और आवास निर्माण का जो काम है, वह सरकार नहीं करती है, सरकार प्रोत्साहन राशि देती है । माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूँ कि इसमें अपने क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दें और लोगों को समझा-बूझाकर आवास को पूर्ण कराने में सहयोग करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर कोई दूसरा पूरक हो तो पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिम्पल माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पॉच साल बीत गये और यह एक साल में पूरा हो जाना चाहिये था, जब वर्ष 2013-14 में सरकार ने तीन-तीन प्रकार के नोटिस जारी किये और लगभग 92 लाभुकों पर एफ0आई0आर0 भी किया गया था तो इन्दिरा आवास लगभग 5 लाख से अधिक अभी तक अपूर्ण है और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास की भी राशि जारी की गई है । अगर इसपर सरकार कड़ाई नहीं करेगी, सरकार इसपर कार्रवाई नहीं करेगी, बिचौलियों का जो राज चल रहा है उसको बंद करने के लिए और लाभुकों से खुलेआम पैसे लिये जाते हैं, उसके लिए सरकार कड़े कदम नहीं उठायेगी तो जो हाल इन्दिरा आवास का हुआ, वही हाल प्रधानमंत्री आवास का होने वाला है ।

महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी इसपर बतायें और एक समय-सीमा फिक्स करें कि किस तारीख तक इन्दिरा अवास का सम्पूर्ण निर्माण हो जायेगा ? प्रधानमंत्री आवास में वह परेशानी न हो जो इन्दिरा आवास में हुआ है, उसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? यह माननीय मंत्री जी सदन को बतायें ।

टर्न-14/आजाद/25.07.2018

( व्यवधान )

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को बताया कि हम कितने आवास को पूर्ण कराया और हमने 15.08.2018 तक 3 लाख आवास को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इस आशय का निर्देश हमने जारी किया है । अधिकारियों के साथ हमने बैठक किया है, मुझे भरोसा है कि माननीय सदस्य अगर इसमें सहयोग करेंगे तो यह हमारा काम पूर्ण हो जायेगा, यह माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है माननीय मंत्री जी । माननीय सदस्य सिर्फ इतना चाहते हैं कि गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कई स्तर पर कार्रवाई की है, बी0डी0ओ0 के स्तर पर कार्रवाई की है, सभी स्तर पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है ।

( व्यवधान )

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अगर अपनी जगह से जाकर एक आदमी बोलियेगा तो कुछ सुन भी पायेंगे, आप अपनी जगह से जाकर न बोलिए । ये बीच में आकर के सब लोग बोलियेगा तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है ।

अब आप समझिए कि एक कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको आपने उठाया कार्य-स्थगन के माध्यम से, उसके बारे में कई बार चर्चा भी हुई, उसपर आपलोगों के द्वारा सदन से बहिर्गमन भी किया गया, सरकार का उसपर वक्तव्य भी हो गया तो आपलोग यह बता दीजिए कि एक मुद्दे पर सदन कितने दिन बाधित रहेगा ?

(व्यवधान जारी)

अब आपका ही प्रश्न है । अब तारांकित प्रश्न में श्री मुद्रिका प्रसाद राय जी का प्रश्न है । इसलिए जाईए न अपनी सीट पर । हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपलोग इस मामले को उठा रहे हैं, उस तरीके से किसी मामले को उठाने के लिए अपनी नियमावली में समय भी निर्धारित है । अनावश्यक आप अपना समय, माननीय सदस्यों का समय क्यों जाया करते हैं ? अब प्रश्नोत्तरकाल होने दीजिए, फिर इस विषय को आप उठाईयेगा ।

समय निर्धारित है, 12.00 बजे निर्धारित है न ।

( व्यवधान )

अब तारांकित प्रश्न । श्री मुद्रिका प्रसाद राय ।

तारांकित प्रश्न सं0-166(श्री मुद्रिका प्रसाद राय)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-167(श्री विनय बिहारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री,जल संसाधन विभाग ।

आपने मांग तो कर दी है न । अब जगह पर जाकर के प्रश्नोत्तर-काल तो होने दीजिए । इसको आप 12.00 बजे उठाईयेगा ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत वृन्दावन व बेलवा गांव सिकरहना नदी के दायें किनारे पर अवस्थित है । दोनों गांवों में नदी के किनारे का कटाव नहीं बल्कि रेनकट्स एवं वेभ वाश से मिट्टी का क्षरण हुआ है । वर्तमान में गांव सुरक्षित है ।

विभागीय पत्रांक-2789 दिनांक 23.07.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण मुजफ्फरपुर को बाढ़ अवधि 2018 में प्रश्नगत् स्थल पर सतत् निगरानी एवं विशेष चौकसी रखने एवं कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने हेतु निदेशित किया गया है । साथ ही

बाढ़ अवधि के उपरान्त प्रश्नगत् गांव को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता के आधार पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु योजना तैयार करने के लिए भी निदेशित किया गया है ।

( व्यवधान जारी)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या गांव जब कट जायेगा, तब आप गांव में सुरक्षा बांध बनायेंगे ? पिछले साल की जो आयी हुई बाढ़ थी, उस बाढ़ में 5 घर कटे थे, बेलवा गांव है, मैं वहां गया था । जो भी सूचना प्राप्त करायी गयी है, वह सूचना सत्य नहीं है । गांव का बहुत सारा बाग-बगिचा कट गया है। वहां पर दो गांव है बेलवा और वृन्दावन, बेलवा गांव में पिछले वर्ष के बाढ़ में 5 घर कट गये थे, उनको घर कटने की राशि भी प्राप्त नहीं हुई है । पिछले साल जो बाढ़ आयी थी, उसमें 17 हजार लोग बाढ़ की सूची में आये थे, जिसमें 11हजार लोगों को पैसा मिला, 6हजार लोगों का आज तक पैसा बाकी है । महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या गांव जब कट जायेगी तब गांव की सुरक्षा व्यवस्था करायी जायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विनय बिहारी जी, माननीय मंत्री जी ने आपको बताया है कि वहां कटाव नहीं हो रहा है, रेनकट्स से कुछ क्षरण हो रहा है और बाकी आप सूचना आप दे दीजियेगा माननीय मंत्री जी, गांव की जरूर चिन्ता करेंगे ।

ठीक है ।

( व्यवधान )

आपलोगों को टेबुल से क्यों परेशानी है । यह गलत बात है । तारांकित प्रश्न सं0-168 । जो लोग टेबुल को डिस्टर्ब करियेगा उनपर हम अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। आपको बोलने का हक है । टेबुल उलटेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री लाल बाबू राम जी, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपके विरूद्ध कार्रवाई करूँगा, ऐसे नहीं चल सकता है । ऐसे नहीं चलेगा ।

( व्यवधान )

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-15/अंजनी/दि0 25.07.2018

(अन्तराल के बाद)

( इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया )

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सभापति, शून्य काल समिति ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : पहले रिपोर्ट ले हो जाने दीजिए । सभापति, शून्य काल समिति ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत शून्य काल समिति का 92वॉं प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर की जो गंभीर घटना.....

अध्यक्ष : उसी पर न सदन स्थगित हुआ था ।

श्री आलोक कुमार मेहता : हमलोग इसकी जांच की मांग करते हैं ।

(इस अवसर पर राजद एवं माले के मा0 सदस्यगण वेल में आ गये)

## वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या-33 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है। अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन (गिलोटिन) मुखबंध द्वारा किया जायेगा ।

अब मैं मांग संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए 03(तीन) घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | - | 60 मिनट |
| जनता दल (यूनाईटेड) | - | 51 मिनट |

| | | |
|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | - | 39 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | - | 20 मिनट |
| सी0पी0आई0(एम0एल0) | - | 02 मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी | - | 02 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | - | 01 मिनट |
| राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | - | 02 मिनट |
| निर्दलीय | - | 03 मिनट |
| | | ------- |
| | कुल | -180 मिनट |

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2018 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,38,02,92,000/-(आठ अरब अड़तीस करोड़ दो लाख बानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर तो कहिए । आप लोग अपने स्थान पर जाकर कहियेगा, एक-एक करके बोलियेगा तो कुछ सुनेंगे भी । अभी तो ग्रामीण विकास विभाग की मांग आयी है, उसपर आप लोग बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

मुजफ्फरपुर वाली घटना पर तो सरकार ने वक्तव्य दिया है ।

(व्यवधान)

इस मांग पर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, क्या माननीय सदस्य रामदेव राय जी, कटौती प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं मांग संख्या-42 में यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस मांग से 10/- रूपया घटाई जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ने कटौती प्रस्ताव मूव किया कि नहीं किया ?

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-16/शंभु/25.07.18

(स्थगन के उपरान्त)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर माननीय मंत्री का वक्तव्य । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में ग्रामीण विकास विभाग के प्रथम अनुपूरक पर कटौती प्रस्ताव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय आदरणीय रामदेव राय जी ने लाया......

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, नहीं लाया है । माननीय मंत्री जी, कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, आप मांग पर बोलिये ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : उन्होंने तो कटौती..........

अध्यक्ष : नहीं वापस ले लिया था ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन में सरकार का जवाब एवं सरकार की ओर से उत्तर को विपक्ष के माननीय सदस्यगण क्यों नहीं सुनना चाहते, पता नहीं क्या कारण है? जबकि सरकार विपक्ष के बारे में सकारात्मक सोच रखती है और विपक्ष के द्वारा लाये गये हरेक प्रश्न को सरकार गंभीरता से लेती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

मुझे जो कारण समझ में आता है उसे आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूँ । विपक्ष के लोग सिर्फ गरीब की बात करते हैं, गरीबों के लिए कभी नहीं सोचते, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के बारे में सिर्फ बोलते हैं, कुछ करना नहीं चाहते । बिहार की सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में जो काम शुरू हुआ है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता । जो लकीर श्री नीतीश कुमार जी ने खीची है उसके बराबरी की लकीर कोई नहीं खींच सका । महोदय, हमने तो गरीबों के बीच, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग चाहे अल्पसंख्यक समुदाय एवं सभी समुदाय के लोगों के लिए आजादी के 70 साल तक जिनके घरों में रौशनी नहीं पहुंची उनके घरों में सात निश्चय योजना के माध्यम से हर गांव में पक्की नाली, गली का निर्माण, घर-घर बिजली, घर-घर नल का पानी, घर-घर शौचालय का निर्माण कराकर यह साबित कर दिया कि हमारी सरकार गरीबों के उत्थान एवं गांव के विकास के लिए कटिबद्ध है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

वर्ष 2020 के पहले बिहार का हर गांव स्मार्ट बनेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सतत् जीविकोपार्जन योजना के बारे में- मैं सबसे पहले सतत् जीविकोपार्जन योजना की चर्चा करना चाहता हूँ। यह योजना राज्य संपोषित है । राज्य के अंदर जो देशी शराब एवं ताड़ी बेचकर अपना जीवन गुजर-बसर करते हैं उनके परिवार को ग्रामीण विकास विभाग ने रोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है । इसके लिए जीविका के माध्यम से सर्वे का काम चल रहा है । राज्य के 16 जिलों में अब तक 1250 अत्यंत गरीब परिवार की पहचान की जा चुकी है और कार्य तेजी से किया जा रहा है । रोजगार मुहैय्या कराने में राज्य के 534 प्रखंडों में तीन वर्षों में 840 करोड़ रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित है । अध्यक्ष महोदय, चिन्हित परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराने हेतु ग्रामीण विकास विभाग ने जो योजना बनायी है उसमें पशुपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन, मधुमक्खीपालन, नीरा निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, सिलाई-कटाई आदि प्रमुख है । इनके बेरोजगार बच्चे को शुरू में ही रोजगार के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा सरकार की तरफ से 60 हजार से 1 लाख रूपये तक आर्थिक सहायता के साथ तकनीकी जानकारी और समय-समय पर निरीक्षण के लिए अधिकारी को तैनात किया जायेगा । इसके साथ ही सात निश्चय से संबंधित कार्य, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्य, प्रधानमंत्री आवास से गृहविहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का कार्य, मनरेगा से बेरोजगार परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराने का कार्य, छात्रों के उन्नयन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने, महादलित विकास मिशन के माध्यम से गरीबों के उत्थान की योजना के साथ-साथ भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है । महोदय, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार में चल रहा है । स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ अभियान योजना के कार्यान्वयन का दायित्व ग्रामीण विकास विभाग को 2 जून, 2016 में मिला तब बिहार में 1 करोड़ 60 लाख परिवार शौचालय विहीन थे । मेरे सामने 2 अक्टूबर, 2019 तक बिहार को बाहरी शौच से मुक्त करने की चुनौती थी- जब कार्य ग्रामीण विकास को मिला तब यह मात्र 22 प्रतिशत परिवार को घरों में शौचालय उपलब्ध था जबकि आज के तिथि में लगभग 61 प्रतिशत घरों में शौचालय उपलब्ध हो चुका है । इस योजना के तहत लाभुक परिवार को शौचालय निर्माण पर 12 हजार रूपया प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है । भूमिहीन एवं अक्षम परिवारों के लिए सरकारी अथवा स्वेच्छा से प्राप्त भूमि पर सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम 2 लाख रूपये की सहायता देने का भी प्रावधान है । महोदय, चम्पारण सत्याग्रह समारोह के समापन के उपलक्ष्य में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के तहत 3 अप्रील से 10 अप्रील, 2018 तक राज्य एवं अन्य प्रान्तों से आये 10 हजार स्वच्छाग्रहियों ने राज्य के विभिन्न जिलों में लोगों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग की प्रेरणा प्रदान की तथा व्यवहार में परिवर्तन की बात कही । महोदय, सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक सप्ताह में राज्य में हमने 5 लाख 80 हजार

घरों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। अब तक सीतामढ़ी खुले शौच से मुक्त हो चुका है एवं रोहतास, शेखपुरा, नालन्दा, मुंगेर एवं पूर्वी चम्पारण जिले खुले शौच से मुक्त होने के कगार पर हैं । अब तक 1 जिला, 3 अनुमंडल, 29 प्रखंड, 1312 ग्राम पंचायत, 6145 गांव खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं । बाहर की गंदगी एवं खुले में शौच के चलते देशभर में जन्म के 28 दिनों के अंदर लगभग 7 लाख बच्चे की मृत्यु प्रत्येक वर्ष हो जाती है । राज्य में कैंसर तथा डायरिया जैसे कई गंभीर बीमारियों एवं बड़ी बीमारियों से हर वर्ष बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो रही है । बड़ी संख्या में लोग अस्पताल एवं चिकित्सक के चक्कर लगाने के बाद भी परेशान हैं । गाढ़ी कमाई का 90 प्रतिशत राशि चिकित्सा पर व्यय कर रहे हैं । लोगों में अशुद्ध पानी से भी बड़ी बीमारी का जन्म हो रहा है । वर्ष 2019 तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के संकल्प के साथ राज्य में काम हो रहा है । बड़ा काम केवल सरकार और सरकार के कर्मचारियों के बलबूते नहीं हो सकता है । इसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों, प्रेस और मीडिया, समाज के हर तबके का सहयोग आवश्यक है तभी व्यवहार परिवर्तन हो सकता है एवं इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है । इस अभियान के तहत अच्छे कार्य करनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को राज्य स्तर पर भी बुलाकर सम्मानित किया जाता है । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष-2018-19 में 15 करोड़ मानव दिवस सृजन लक्ष्य का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, लेकिन भारत सरकार द्वारा 9 करोड़ मानव दिवस अनुमोदित किया गया है, फिर भी विभाग द्वारा 15 करोड़ मानव दिवस सृजन के लिए सभी जिलों को राज्य से निदेशित किया गया है । वित्तीय वर्ष-2018-19 में जून 2018 तक 5 करोड़ 2 लाख 15 हजार मानव दिवस सृजन किया जा चुका है और जून 2018 तक के लक्ष्य का 92 प्रतिशत से भी अधिक है । अब तक 17 लाख 82 हजार परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने में हम सफल हुए हैं । अब तक औसत प्रति परिवार 29 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में अब तक कम वर्षा होने के कारण सभी जिलों में मनरेगा के तहत खेत, पोखर पुनरूद्धार कार्य, जल संरक्षण, जल संचय एवं जल निकायों के पुनरूद्धार कार्यों को 15 जून से 15 अक्टूबर तक जारी रखने का निदेश दिया गया है ताकि गांव के लोगों को सतत् रोजगार उपलब्ध हो सके तथा संभावित पलायन को रोका जा सके । संभावित सुखाड़ को देखते हुए प्रति पंचायत प्रतिदिन कम से कम 40 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं निदेश दिया गया है कि कम से कम 5 हजार योजनाओं को शीघ्र पूरा कराया जाय एवं संबंधित प्रखंडों में प्रति जॉब कार्डधारी परिवार को 100 दिन मानव दिवस के स्थान पर 150 मानव दिवस रोजगार प्रदान किया जा सके । वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा योजना से की जानेवाली योजनाओं की कुछ निम्न प्रकार है- आंगनबाड़ी 814, वर्मी नेपिड कम्पोस्ट 10097

क्रमशः

टर्न–17/अशोक/25.07.2018

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : क्रमशः.. पशु शेड का निर्माण 6581, बकरी शेड का निर्माण 767, ग्रामीण हाट–31, सरकारी विद्यालय के चहारदिवारी का निर्माण–53, जल संचय/जल छाजन/सिंचाई/ पुराने जल निकायों के पुनरूद्धार- 48837, खेल मैदान–117 निर्माण एवं पूर्ण 11 किये गये हैं महोदय ।

इसी प्रकार हमारा जो प्रधानमंत्री आवास है महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी बेघर परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । इस योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं । वर्ष 2011 में राज्य में किये गये सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना के आधार पर आवास का लाभ दिया जाता है । आवास निर्माण के लिये सामान्य जिलों में एक परिवार को 1 लाख 20 हजार तथा नक्सल प्रभावित आई.ए.पी., इन्टर ग्रेटेड एक्शन प्लान जिले में 1 लाख 30 हजार रूपये की राशि लाभुकों के खाते में सीधे दी जाती है । शौचालय के लिये अलग से 12 हजार रूपया, तथा जॉब कार्ड धारी लाभुकों को सामान्य जिलों में 90 दिन एवं नक्सल प्रभावित जिलों में 95 दिन की मजदूरी का भुगतान मनरेगा योजना से की जाती हैं । यदि लाभुक और बेहतर घर बनाना चाहते हैं तो बैंक से कम से कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत लाभुकों द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् समय पर आवास पूर्ण नहीं कराने वाले एवं कार्य में शिथिलता बरतने वाले लाभुकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है । लाभुकों की संख्या जिन्हें उजला कार्ड का नोटिस निर्गत किया गया 4 लाख 98 हजार 614, लाभुकों की संख्या जिन्हें लााल नोटिस जारी किया गया महोदय 2 लाख 30 हजार 548 लाभुकों के विरूद्ध राशि वसूल की गई । महोदय, 14 हजार 348 जिनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई 1 हजार 295 और कुल लाभुकों से वसूली की गई 23 लाख 80 हजार 491, इसके अतिरिक्त कई आवास सहायक एवं आवास पर्यवेक्षक को चयन मुक्त किया गया एवं 22 प्रखण्ड विकास पिदाधिकारी से कार्य में शिथिलता बरतने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया । अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय, प्रखण्डों में आधारभूत संरचना का विकास- राज्य सरकार बिहार के सभी 534 प्रखंडों में कार्यो के सफल निष्पादन हेतु आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये प्रतिबद्ध है । वैसे सभी नये प्रखण्ड, जहां भूमि उपलब्ध नहीं है के लिये न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है, इसके

लिये जिलों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है, सरकार सभी पुराने एवं जीर्णशीर्ण कार्यालय भवन वाले प्रखंडों तथा भवनविहीन नये प्रखंडों में सुविधा सम्पन्न कार्याल भवन-सह-आवासीय परिसर के निर्माण हेतु चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है । अबतक 77 प्रखंडों मे प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन-सह-आवासीय परिसर-सह-निरीक्षण कमरा के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । इन स्वीकृत 77 प्रख्ंडों में से 34 प्रखंडों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

सूचना प्रौद्योगिकी भवन (IT भवन) का निर्माण - प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय के रूप में समुचित सुविधा सम्पन्न भवन के लिये सरकार द्वारा RIDF योजनान्तर्गत राज्य के 101 प्रखंडों में चरणबद्ध रूप से प्रखंड प्राद्यौगिकी भवन का निर्माण का निर्णय लिया गया है । इस योजना के तहत कुल 935.47 करोड़ रूपये की राशि के लागत से निर्माण कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है । परियोजना के निर्माण के संदर्भ आवश्यक कार्रवाई भवन निर्माण विभाग द्वारा करते हुये 86 स्थलों पर कार्य प्रारंभ किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, आधार पंजीकरण ग्रामीण विकास विभाग राज्य पंजीकरण के द्वारा 861 स्थायी आधार केन्द्रों PEC के माध्यस से आधार पंजीकरण का कार्य कराया जा रहा है । अब आधार पंजीकरण केन्द्र सिर्फ सरकारी परिसरों में ही अवस्थिति होंगे । क्रमशः

टर्न-18/ज्योति/25-07-2018

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, आधार पंजीकरण ग्रामीण विकास विभाग राज्य पंजीकरण के द्वारा 861 स्थायी केन्द्र के माध्यम से आधार पंजीकरण का कार्य कराया जा रहा है। अब आधार पंजीकरण केन्द्र सिर्फ सरकारी परिसरों में ही नहीं अवस्थित होंगे आधार पंजीकरण तथा आधार से संबंधित अन्य सेवाओं ..

अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आधार पंजीकरण तथा आधार से संबंधित अन्य सेवाओं यथा बायोमैट्रिक अपडेशन, ई-आधार की स्थिति की जानकारी इत्यादि की सुविधा सभी नागरिकों को सतत् रूप से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों, सभी अनुमंडलों सभी नगर पंचायतों सभी नगर परिषदों एवं सभी जिला मुख्यालयों में स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र पी0ई0सी0 स्थापित है । इन स्थायी आधार केन्द्रों को सरकार द्वारा चलायी जा रही है और उनको आधार से लिंक किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग चले गए लेकिन राज्य के लिए चिन्ता करते हैं और कभी सुखाड़ की

बात करते हैं कभी दूसरी बात उठाते हैं । जब ग्रामीण विकास जैसे 85 फीसदी जहॉं गांव के लोग रहने वाले हैं उनकी चिन्ता, इनके पास नहीं है, इस विषय पर उनको बोलना चाहिए, सुझाव देना चाहिए था जहॉं-जहॉं कुछ कमी है, उसको हमलोग दुरुस्त करते लेकिन उनको तो कुछ मतलब है नहीं, न ग्रमीण विकास से मतलब है, न राज्य की जनता से मतलब है, महोदय, जो हमारा दस्तावेज है, इसको प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय । यही कहते हुए सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ग्रमीण विकास विभाग का जो प्रस्ताव है महोदय, उसको अनुमोदित किया जाय ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ने जो अपने विभाग की मांग प्रस्तुत की है उसपर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2018 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,38,02,92,000/-(आठ अरब अड़तीस करोड़ दो लाख बानवे हजार) रुपसे से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का मुखबंध होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2018 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मॉंग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 2,05,28,22,000/-(दो अरब पॉंच करोड़ अट्ठाइस लाख बाइस हजार) रुपये,

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 78,46,22,000/-(अठहत्तर करोड़ छियालिस लाख बाइस हजार) रुपये,

मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 1,62,51,25,000/-(एक अरब बासठ करोड़ एकावन लाख पच्चीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 8,00,000/-(आठ लाख) रुपये,

मांग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 26,61,000/-(छब्बीस लाख इकसठ हजार) रुपये,
मांग संख्या-10 उर्जा विभाग के संबंध में 15,15,25,00,000/-(पंद्रह अरब पंद्रह करोड़ पच्चीस लाख) रुपये,
मॉग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 18,00,000/- (अठारह लाख) रूपये,
मॉग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 72,55,11,00,000/- (बहत्तर अरब पचपन करोड़ ग्यारह लाख) रूपये,
मॉग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 11,93,00,000/- (ग्यारह करोड़ तिरानवे लाख) रूपये,
मॉग संख्या-17 वाणिज्य-कर विभाग के संबंध में 1,07,00,000/- (एक करोड़ सात लाख) रूपये,
मॉग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 3,13,26,000/- (तीन करोड़ तेरह लाख छब्बीस हजार) रूपये,
मॉग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3,54,98,50,000/- (तीन अरब चौवन करोड़ अनठानवे लाख पचास हजार) रूपये,
मॉग संख्या-21 शिक्षा विभाग के संबंध में 22,07,45,40,000/- (बाइस अरब सात करोड़ पैंतालिस लाख चालीस हजार) रूपये,
मॉग संख्या-22 गृह विभाग के संबंध में 3,73,48,68,000/- (तीन अरब तिहत्तर करोड़ अड़तालिस लाख अड़सठ हजार) रूपये,
मॉग संख्या-25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 63,43,82,000/- (तिरसठ करोड़ तैंतालिस लाख बयासी हजार) रूपये,
मॉग संख्या-26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 93,02,000/- (तिरानवे लाख दो हजार) रूपये,
मॉग संख्या-27 विधि विभाग के संबंध में 4,57,05,000/- (चार करोड़ संतावन लाख पॉच हजार) रूपये,
मॉग संख्या-29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये,
मॉग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 1,58,57,000/- (एक करोड़ अंठावन लाख संतावन हजार) रूपये,
मॉग संख्या-32 विधान मंडल के संबंध में 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये,
मॉग संख्या-33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 45,65,000/- (पैंतालिस लाख पैंसठ हजार) रूपये,
मॉग संख्या-35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 1,63,32,00,000/- (एक अरब तिरसठ करोड़ बत्तीस लाख) रूपये,
मॉग संख्या-38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 6,25,50,000/- (छः करोड़ पच्चीस लाख पचास हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 38,02,75,32,000/- (अड़तीस अरब दो करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 1,99,00,000/- (एक करोड़ निनानवे लाख) रूपये,

मॉंग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 2,24,00,00,000/- (दो अरब चौबीस करोड़) रूपये,

मॉंग संख्या-43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 3,21,25,000/- (तीन करोड़ एक्कीस लाख पच्चीस हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 1,40,00,000/- (एक करोड़ चालीस लाख) रूपये,

मॉंग संख्या-47 परिवहन विभाग के संबंध में 47,58,50,000/- (सैंतालीस करोड़ अंठावन लाख पचास हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2,25,49,90,000/- (दो अरब पच्चीस करोड़ उनचास लाख नब्बे हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 1,00,00,00,000/- (एक अरब) रूपये,

मॉंग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 21,15,01,11,000/- (एक्कीस अरब पन्द्रह करोड़ एक लाख ग्यारह हजार) रूपये,

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
सभी मॉंगें स्वीकृत हुईं ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय ) विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक,2018

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2018 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2018 पर विचार हो । ''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड -2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' अनुसूची इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने 1 लाख 76 हजार 990 करोड़ का बजट पारित किया है और आज प्रथम सप्लीमेंट्री के माध्यम से 19 हजार 771 करोड़ रुपये का फर्स्ट सप्लीमेंट्री उपस्थापित किया गया था जिसके लिए विनियोग विधेयक यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इस फर्स्ट सप्लीमेंट्री में जो सबसे बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है वह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और यह जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है इसके लिए फर्स्ट सप्लीमेंट्री में 830 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । मैं सदन को बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पर कुल मिलाकर 2 हजार 221 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा और अगले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री औपचारिक रुप से इस कन्या उत्थान योजना को प्रारम्भ करेंगे । मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यह देश की अपने प्रकार की पहली योजना है जिसमें कोई लड़की पैदा होते ही उसके खाते में दो हजार रुपया उसके अभिभावक के नाम से जमा कर दिया जायेगा । जब लड़की एक साल की होगी और आधार नंबर अगर उसके अभिभावक प्राप्त कर लेते हैं तो एक हजार रुपया और उसके खाते में जमा हो जायेगा और दो साल की उम्र होते होते सभी तरह का टीकाकरण करने पर और दो हजार रुपया उसके खाते में जमा हो जायेगा यानी दो वर्ष की उम्र होते होते पैदा होने पर दो हजार और आधार नंबर मिलने पर एक हजार और उसके बाद टीकाकारण करने पर दो हजार रुपया इनको पाँच हजार रुपया उसके दो वर्ष की आयु तक उसके खाते में जमा हो जायेगा और जब वह लड़की जब कक्षा एक से दो कक्षा में जायेगी तो उसको जो मिलने वाली पोशाक की राशि है जो पहले 400 रुपये प्रति छात्रा प्राप्त होता था उसको बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है । उसी प्रकार कक्षा तीन से पाँच के लिए जो पहले पोशाक के लिए 5 सौ रुपये की राशि मिलती थी उसको बढ़ाकर 700 रुपया, कक्षा 6 से 8 के लिए जो 700 रुपया प्रति छात्रा राशि मिलती थी उसको बढ़ाकर 1 हजार रुपया और कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो एक हजार रुपया प्रति छात्रा पोशाक के लिए राशि मिलती थी, उसको बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया गया है । इतना ही नहीं, जो लड़की इन्टर पास करेगी और अविवाहित है तो प्रत्येक ऐसे लड़की के खाते में 10 हजार रुपया जमा कर दिया जायेगा यानी जो मेधावृति योजना का 10 हजार रुपया मिलता था उसके अतिरिक्त है

यानी हरेक लड़की के खाते में और यह 10 हजार रुपये की राशि जमा की जायेगी । एक अनुमान है कि ढाई लाख लड़कियाँ प्रति वर्ष इन्टर पास करती हैं, इस साल पास करेंगी तो ऐसी ढाई लाख लड़कियों के खाते में एकमुश्त 10 हजार रुपया जमा किया जायेगा । इतना ही नहीं, जो लड़की ग्रेजुएशन पास कर जायेगी, स्नातक, उस लड़की के खाते में 25 हजार रुपया एकमुश्त जमा किया जायेगा । यानी लड़की के पैदा होने से लेकर लड़की के ग्रेजुएशन होने तक उसके खाते में लगभग 54 हजार रुपये से ज्यादा की राशि जमा की जायेगी । यह वह राशि है जो छात्रवृति और सायकिल योजना के अतिरिक्त राशि है । मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके पहल पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नाम से यह नई योजना प्रारम्भ की जा रही है ।

...क्रमशः....

टर्न-19/25.7.2018/बिपिन

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : क्रमशः जैसा कि मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, 2,221 करोड़ रूपए इस पर खर्च होंगे और इस प्रथम सप्लीमेंट्री में 830 करोड़ रूपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्यमंत्री के सात निश्चय के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना थी और हमलोगों की अपेक्षा थी कि बैंकों के माध्यम से हम छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध करा सकेंगे लेकिन बैंक उस योजना में सफल नहीं हो पाए और फिर एक नई योजना हमलोगों ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन किया है और इस मायने में बिहार देश का पहला राज्य है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सरकार अपने खजाने से अधिकतम चार लाख रूपया कर्ज के रूप में देगी और यह जो चार लाख रूपया उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त होगा, वह 42 प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनके लिए प्राप्त होगा । दसवीं के बाद जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं वह भी इसका लाभ उठा पाएंगे और केवल चार लाख का ऋण ही नहीं मिलेगा बल्कि उसका जो ब्याज दर है, लड़कों के लिए चार प्रतिशत् और लड़कियों के लिए केवल एक प्रतिशत् ब्याज की दर उन पर लागू होगी । जहां बैंकों के द्वारा 10 परसेंट, 12 परसेंट ब्याज की दर लगती है, वहां पर मात्र चार प्रतिशत् ब्याज लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए मात्र एक प्रतिशत् ब्याज, और इतना ही नहीं, जो लड़के-लड़कियां लॉज में रहते हैं घर के बाहर आते हैं पढ़ने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, उन लड़के-लड़कियों को छत्तीस हजार रूपए से लेकर साठ हजार रूपया प्रतिवर्ष रहने के लिए उनको छात्रावास की सुविधा के लिए अलग से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो गरीब लड़के हैं उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं हो, खाने-पीने में कोई दिक्कत नहीं हो और उसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक और पठन लेखन सामग्री के लिए भी दस हजार रूपए का कर्ज उनको दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस मायने में भी बिहार देश का पहला राज्य है कि चार लाख तक फी' के मद में, छत्तीस हजार से लेकर साठ हजार तक उसके रहने के मद में और दस हजार पाठ्य पुस्तक पठन लेखन के मद में उसको कर्ज दिया जा सकेगा, और अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इस प्रथम सप्लीमेंट्री बजट में 525 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और हमलोगों का लक्ष्य है कि कम-से-कम इस साल पचास हजार लड़के-लड़कियों को हम खजाने से यह ऋण उपलब्ध करा सकें । मैं यहां बैठे माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो अपने-अपने क्षेत्र में लगकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि बिहार के लड़के बी.ए., बी.कॉम., एम.ए.,एम.कॉम., एम.बी.ए., इंजीनियरिंग, मेडिकल- ये तमाम तरह के जो कोर्सेज हैं, वह गरीबी के कारण वंचित नहीं हो सकें । मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि अभी तक कुल मिलाकर 867 छात्र-छात्राओं के आवेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है और 28 करोड़ रूपए की स्वीकृति हो चुकी है । जुलाई महीने से नया सत्र प्रारंभ होगा, इसलिए सभी माननीय विधायकों से मेरा आग्रह है कि इसके अंदर पहल करके इसको दिलवाने का काम करें ।

उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, यह दीघा से पटना की जो रेल लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए थे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्र की सरकार के माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्षों से जो मामला अॅटका था, उस मामले को सुलझा लिया गया है और यह जो 71.25 एकड़ जमीन है, यह जमीन अब रेलवे सुपुर्द कर देगा और उसके बदले में 222 करोड़ रूपया राज्य सरकार रेलवे को देने का काम करेगा और इसके लिए भी इस फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में इस 222 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आर.ब्लॉक जो यह क्रॉसिंग है, यहां से प्रारंभ होकर लगभग 6.9 कि0मी0 यह सड़क बनेगी जो दीघा में एफ.सी.आई. का गोदाम है, आर0ब्लॉक, हड़ताली मोड़, पुनाईचक, शिवपुरी, महेश नगर, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, राजीव नगर, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, माइका नगर होते हुए दीघा तक सड़क जाएगी और यह सड़क फोर लेन और कहीं सिक्स लेन, इसका एक कंसेप्ट पेपर तैयार किया जा रहा है । इतना ही नहीं, इस पूरे सात किलोमीटर के रास्ते में कोई सिग्नल नहीं होगा और इसके लिए बेली रोड और राजीव नगर क्रॉसिंग पर एलीवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव है । साथ-ही-साथ पुनाईचक, शिवपुरी, पानी टंकी क्रॉसिंग पर अंडर पास बनाने का प्रस्ताव है । तो यह सड़क बन जाने के बाद पटना शहर के लोगों को बेली रोड और बाकी रोडों पर दबाव काफी कम हो जाएगा और बेली रोड के समानान्तर एक नई सड़क उपलब्ध हो पाएगी और इसके लिए 222 करोड़ रूपए का जो प्रावधान किया गया है, हम रेलवे को यह पैसा देंगे तो वह जमीन रेलवे बिहार सरकार को सौपने का काम करेगा ।

उसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, यह जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसमें केंद्र सरकार-राज्य सरकार दोनों सहयोग करती है और तीन योजना ऐसी है जो पूरी तरह से राज्य सरकार चलाती है तो इस पेंशन योजना के लिए भी इस फर्स्ट सप्लीमेंट्री में 1250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च 2018 तक 60,57,000 लोगों के खाते में पेंशन की राशि का भुगतान किया जा चुका है और यह 1250 करोड़ रूपया प्रथम सप्लीमेंट्री से प्राप्त होते ही 64,66,000 लोगों के खाते में पैसा पहुँचा दिया जायगा और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में जा रहा है और जब डी.बी.टी. के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई तो पाया गया कि तीन लाख मृतक लोग हैं जिनका नाम हटा दिया गया और नौ लाख ग्यारह हजार अन्य लोग थे जिनके नामों को डिलिट किया गया और कुछ नए नाम जोड़े गए हैं, तो कुल मिलाकर 64,66,000 नाम दर्ज है जिनको कि यह राशि बहुत शीघ्र भेजने का काम किया जाएगा ।

उसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, पटना के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है और यह भी मुझे लगता है कि देश के अंदर यह एक अनूठा बस टर्मिनल होगा । 275 करोड़ रूपए की लागत से यह इंटरनेशनल बस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए इस बजट में 114 करोड़ रूपए का प्रावधान है और यह बस टर्मिनल जो बनेगा, इसमें चार ब्लॉक होंगे - ए' ब्लॉक, बी' ब्लॉक, सी' ब्लॉक और एक कॉमर्शियल ब्लॉक होगा । एक ग्राउंड प्लस फाइब जो ब्लॉक ए' है, जहां से यात्री, जैसे हवाई अड्डे पर एराइवल अलग होता है, डिपार्चर अलग होता है तो जो एराइवल ब्लॉक होगा वह जी प्लस फाइव होगा और जो डिपार्चर ब्लॉक है, जहां से यात्री प्रस्थान कर सकेंगे, वह भी जी प्लस फाइब होगा और जो कॉमर्शियल ब्लॉक होगा, वह जी प्लस एट होगा यानी आठ मंजिला बस टर्मिनल का निर्माण होगा और जितनी अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वह सारी सुविधाएं जो हैं वह वहां पर उपलब्ध होगी । मैं केवल एक ही आंकड़ा देना चाहूंगा कि कितना बड़ा बन रहा है, आप इसी से अंदाज कर सकते हैं कि पुरूषों के लिए 215 शौचालय बनेंगे और महिलाओं के लिए, उसी प्रकार जो महिलाएं हैं उनके लिए 236, इतना बड़ा बस टर्मिनल है कि लगभग 450 तो केवल शौचालय का निर्माण उसके अंदर किया जाएगा और जैसा मैंने कहा कि अत्याधुनिक सारी सुविधाएं जो हैं उस बस टर्मिनल में होगी और उसके लिए इस बजट में 114 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने एलान किया था कि भागलपुर के जो बुनकर हैं उन बुनकरों का जो बकाया है बिजली के बिल का, उसके लिए इस बजट में 330 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और भागलपुर जिले में

6966 बुनकरों को कनेक्शन दिया गया था लेकिन कुछ बकाया रह गया, जो ऊर्जा के मद में 153 करोड़ रूपया था और लेट फी' के मद में 253 करोड़, यह कुल मिलाकर 406 करोड़ रूपया का बकाया था । इस बजट में 330 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जा रहा है । इसके द्वारा भागलपुर के जो बुनकर हैं उनको नया कनेक्शन मिल सके, यद्यपि वहां पर शिविर लगाकर बुनकरों को कनेक्शन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है । यह जो बकाया था, उसको वन टाइम सेट्लमेंट स्कीम लाई जा रही है और उसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि जो बुनकर हैं उनका जो बिल है सूद को छोड़कर, उसका 50 परसेंट कम-से-कम उनको जमा करना पड़ेगा .... क्रमशः

टर्नः 20/कृष्ण/25.07.2018

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : क्रमशः.. इसी प्रकार गरीब बुनकरों को उनको एक नई जिन्दगी मिलेगी, वे अपना रोजगार फिर से प्रारंभ कर सकेंगे । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है आज पूरा देश उसकी प्रशंसा कर रहा है। उन दिनों मैं मुम्बई में था, श्री पीयुष गोयल जी एक अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाषण दे रहे थे, देश के अनेक वित्त मंत्री और देश और दुनिया के लोग मौजूद थे, उन्होंने भूरी-भूरी प्रशंसा की बिहार की कि बिहार के अंदर ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में जो काम हुआ है, वह पूरे देश के लिये एक प्रकार की नजीर है और उन्होंने अन्य राज्यों से भी कहा कि बिहार जाकर देखिये कि वहां किस तरह से इन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, इसस बजट में 1185 करोड़ रूपया हम जो बिजली बोर्ड को पावर होल्डिंग कंपनी को हम देंगे, उसके लिये इसमें प्रावधान किया गया है । इसके पहले बजट में 2952 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, रीसोर्स गैप के रूप में और 1185 करोड़ रूपया और जोड़ देने के बाद कुल मिलाकर 4137 करोड़ रूपया और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा ाकि बिहार ने विद्युत के क्षेत्र में जो प्रगति की है माननीय मंत्री विजेन्द्र बाबू यहां बैठे हैं, 2005 में जब हमलोग सरकार में आये थे उस समय बिजली का जो राजस्व संग्रह था मात्र 1100 करोड़ रूपये था और 2017 में 8000 करोड़ रूपया बिजली बोर्ड ने संग्रह किया है । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय आपदा प्रबंधन के लिये और हमलोगों ने फर्स्ट सप्लीमेंटरी में 2643 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । बाढ़ हो सुखाड़ हो, जो भी स्थिति बिहार के अंदर बन रही है उसका मुकाबला करने के लिये इसमें बाढ़ अंतर्गत कृषि इनपुट सबसिडी के लिये 500 करोड़, बाढ अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों के लिये 400 करोड़ खाद्यान की आपूर्त्ति के लिये 500 करोड़ कुल मिलाकर 2643 करोड़ रूपये का आपदा प्रबंधन में फर्स्ट

सप्लीमेंटरी के माध्यम से इसमें प्रावधान किया गया है । इस प्रकार कुल मिलाकर आपदा प्रबंधन के आम बजट जो है, वह 3114 करोड़ का हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके, इसके लिये इस फर्स्ट सप्लीमेंटरी बजट में 1282 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और जहां पहले से 2543 करोड़ रूपये का प्रावधान था और यह 1282 करोड़ जोड़ने के बाद कुल मिलाकर 3826 करोड़ रूपये की व्यवस्था हमलोगों ने किया है । महोदय, आगे आनेवाले दिनों में अगर आवश्कता होगी तो सेकेंड सप्लीमेंटरी और थर्ड सप्लीमेंटरी के माध्यम से भी और हमलोग राशि की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनको समय पर वेतन का भुगतान किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर हमलोगों ने जो व्यवस्था किया है अभी माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ग्रामीण विकास पर बोल रहे थे तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस बार के बजट के अंदर और हमलोगों ने फर्स्ट सप्लीममेंटरी में और लोहिया स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन में 788 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और इन्होंने विस्तार से बताया है, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सीतामढ़ी जिला बिहार का पहला जिला है जो पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो चुका है । इसकी औपचारिक एलान करने की जो औपचारिकतायें हैं वह पूरी हो जायेगी लेकिन सीतामढ़ी जिला एक तरह से बिहार का पहला जिला ओ0डी0एफ0 घोषित होने जा रहा है और अब तक कुल मिलाकर 32 प्रखंड और 1176 ग्राम पंचायत खुले में शौचमुक्त हो चुका है और इस बजट के फर्स्ट सप्लीमेंटरी में हमलोगों ने 788 करोड़ रूपये का इसके माध्यम से प्रावधान किया है । अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट सप्लीमेंटरी में और भी हमलोगों ने जिन बातों का प्रावधान किया है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन जितनी योजनायें हमलोगों ने प्रारंभ की है आज सुबह जिस पर चर्चा हो रही थी तो कोई पैसे की कमी नहीं हो दी जायेगी और सड़क और विद्युत का जो क्षेत्र है, आपदा प्रबंधन हो शिक्षकों का वेतन हो, कर्मचारियों का वेतन हो, सड़कों का निर्माण करना हो, जो भी विकास का कार्य हो, उस विकास कार्य के अंदर धन की कमी नहीं होने दी जायेगी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की ऊचाईयों पर ले जाने के लिये तत्पर है इसलिये मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस विनियोग विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग (संख्या-3)विधेयक,2018 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक,2018 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल इस सदन में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान गर्दनीबाग में हुई घटना का मामला उठाया गया था । कांग्रेस के माननीय विधायकों के साथ जो घटना हुई थी, उसका जिक्र किया था । आसन से निर्देश हुआ था कि इस संबंध में आज सरकार उस घटना के संबंध में अपना वक्तव्य दे। इसलिए सरकार का वक्तव्य अगर तैयार है तो सरकार उसे सदन में प्रस्तुत करे ।

<u>सरकार का वक्तव्य</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, आपने निदेशानुसार वस्तुस्थिति मैं आपके सामने मैं रख रहा हूं । वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 24.07.2018 को गर्दनीबाग धरना स्थल पर बिना अनुमति के कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती अमिता भूषण माननीय विधायिका, बेगूसराय के नेतृत्व में श्रीमती भावना झा, माननीय विधायिका, बेनीपट्टी श्री शकील अहमद खॉ,माननीय विधायक,कदवा, श्री बंटी चौधरी,माननीय विधायक,सिकंदरा, श्री अवधेश नारायण सिंह,पूर्व मंत्री सह माननीय विधायक,गया । महोदय, यह केवल महिलाओं का प्रदर्शन नहीं था । इसलिए मैं जोर दे रहा हूं । श्री विजय शंकर दूबे, माननीय विधायक अन्य 30-40 महिला एवं पुरूष समर्थकों के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर करीब 1.00 बजे दिन में समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में घटित घटना के विरोध में सरकार विरोधी तथा पुलिस प्रशासन विरोधी नारा लगाते हुए विधान सभा को घेराव करने हेतु प्रस्थान किये ।

स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें समझाने-बुझाने का काफी प्रयास किया गया, परन्तु माननीय सदस्यगण अपने समर्थकों के साथ नाजायज मजमा बनाकर बैरीकेडिंग को लांघ कर विधान सभा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे । प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी श्री श्रृष चौहान कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बख्तियारपुर, पटना एवं पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग थाना के द्वारा उपस्थित महिला एवं पुरूष पुलिस बल के सहयोग से विधान सभा की ओर जाने से मना किया तो उपरोक्त माननीय सदस्यगण अचानक उग्र हो गये और असंसदीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुये दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की करने लगे, जिसमें एक महिला सिपाही एवं एक पुरूष सिपाही जख्मी हो गया ।

इस घटना के संबंध में दण्डाधिकारी श्री श्रृष चौहान के लिखित आवेदन के आधार पर गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 298/18 दिनांक 24.07.2018 धारा 147/ 149/ 353/ 323/ 188/ 504/ 506 भा0द0वि0 दर्ज कराया गया है, जो अनुसंधानान्तर्गत है । घटना की विडियोग्राफी करायी गयी है ।

महोदय, किसी माननीय सदस्य को कोई चोट पहुंचने की कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई,2018 के लिये स्वीकृत ...

(व्यवधान)

वक्तव्य पर तो कोई वाद-विवाद होता नहीं है । यह तो सूचना है, सरकार को दे दीजियेगा । उत्तर नहीं, वक्तव्य दिया गया है ।

टर्न-21/राजेश/25.7.18

श्री विजय शंकर दूबे अध्यक्ष महोदय, सब यह झूठ का पुलिंदा है, मनगढ़ंत, बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह सारी कहानी बनायी गयी है..........

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सवाल उठा करके इनके नेता आदरणीय सदानन्द बाबू ने सदन का वॉकआउट किया है, उनको धैर्य भी नहीं था कि ठीक से बात को रखें और पूरी बात को समझें ............

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप दूबे जी को तो धन्यवाद दीजिये कि कम से कम सुनने के लिए मौजूद है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, दूबे जी भी आज वही काम किये, जो कल सदानन्द बाबू किये हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई, 2018 के लिए .............(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, दूबे जी को आज से महिला कहेंगे हमलोग ।

श्री विजय शंकर दूबे: महोदय, महिला कॉग्रेस का प्रदर्शन जरुर था लेकिन इस राज्य में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं और हमलोग गये थे, महिला कॉग्रेस का पहले, कॉग्रेस के प्रदर्शन के वक्त में कोई अशुभ घटनाएँ न हो, इसलिए हमलोग गये थे ............. (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, ये भी महिला हैं, इनकी भी सुरक्षा की गारंटी हमलोग देते हैं, महिला होने के नाते इनपर भी कोई आक्षेप नहीं आयेगा, कोई हाथ नहीं उठायेगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-53 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई )

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

# परिशिष्ट

# माननीय मंत्री का वक्तव्य

**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार की कुल जनसंख्या में से लगभग 88 प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते है । उनकी गरीबी दूर करने, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जीविका, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छता योजना, आधार पंजीकरण, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन एवं सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

**आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देशन एवं सुदृढ़ नेतृत्व में विकसित बिहार के लिए सात निश्चयों के अतिरिक्त गाँव का समग्र विकास कर ग्रामवासियों को सम्मान के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध निम्न कार्य किये गये है :–**

## 1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 6,37,658 (छह लाख सैंतीस हजार छह सौ अनठावन) आवासों के निर्माण का भौतिक लक्ष्य एवं केन्द्रांश मद में 486689.424 लाख (अड़तालीस अरब छियासठ करोड़ नवासी लाख बयालीस हजार चार सौ) का वित्तीय एलोकेशन तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 5,38,959 (पाँच लाख अड़तीस हजार नौ सौ उनसठ) का भौतिक लक्ष्य एवं केन्द्रांश मद में 413112.96 लाख (एकतालीस अरब एकतीस करोड़ बारह लाख छियानवे हजार) रूपये का वित्तीय एलोकेशन संसूचित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए कुल 11,76,617 (ग्यारह लाख छिहत्तर हजार छः सौ सतरह) भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध आलोच्य अवधि (21.07.2018 तक) में 7,07,783 (सात लाख सात हजार सात सौ तेरासी) लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है और इनमें से 6,11,567 (छः लाख ग्यारह हजार पाँच सौ सडसठ) को प्रथम किस्त, 2,82,261 (दो लाख बेरासी हजार दो सौ एकसठ) को द्वितीय किस्त तथा 67,347 ( सडसठ हजार तीन सौ सैतालीस) को तृतीय किस्त की सहायता राशि e-FMS (इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) के द्वारा लाभुकों के बैंक खाता में अंतरित की गई है और इस पर 3246.76 करोड़ (बत्तीस अरब छियालीस करोड़ छिहत्तर लाख) रूपये का व्यय हुआ है ।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के लिए लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं सहायता राशि का उनके बैंक खाते में अंतरण की प्रक्रिया आवास सॉफ्ट के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत सामान्य जिलों के लिए सहायता राशि 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये एवं IAP जिलों के लिए 1.30 लाख (एक लाख तीस हजार) रूपये निर्धारित की गई है, जो तीन किस्तों में लाभुकों को अंतरित की जा रही है।
- प्रखण्ड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को सहायता राशि प्राप्त करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण करने, आवास निर्माण हेतु मनरेगा से मजदूरी प्राप्त करने, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एल0पी0जी0 कनेक्शन एवं सौभाग्य योजना से विद्युत संयोजन की जानकारी के साथ साथ अन्य योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की जानकारी दी जा रही है।
- राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूरे राज्य को तीन स्थलीय विविधता वाले क्षेत्र में बॉट कर इस योजना हेतु कुल सात प्रकार के मकानों का डिजाईन विकसित किया गया है तथा इनके प्राक्कलन सहित योजना की महत्वपूर्ण बातों से लाभुकों को अवगत कराने के लिए एक पुस्तिका लाभुकों में वितरित की जा रही है।
- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 तक के निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी ऐसे निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (दिनांक 17.07.2018 तक) में पूर्व के वित्तीय वर्षों के 12.08 लाख (बारह लाख आठ हजार) अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया गया है, जिसमे 1255.28 करोड़ (बारह अरब पचपन करोड़ अठाइस लाख) रूपये का व्यय हुआ है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन एवं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को पूरा कराने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में इसे प्रमुखता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- योजना के कार्यान्वयन के प्रगति की रफ्तार में अधिकाधिक वृद्धि एवं लाभुकों द्वारा कम से कम समय में आवास निर्माण पूरा करने हेतु उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के निदेशाधीन दिनांक 27.07.2018 को राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तिथि तक सूचीबद्ध शतप्रतिशत लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य है।

2. मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

- ग्रामीण विकास विभाग बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 15 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था परन्तु मंत्रालय द्वारा मात्र 9 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य अनुमोदित किया गया । राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के अनुरूप ही जिलों का माहवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि 6 माह बाद उपलब्धि के आधार पर अक्टूबर माह में पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लक्ष्य बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजा जा सके । वित्तीय वर्ष 2018-19 में जून माह तक 502.15 लाख मानव दिवस का सृजन राज्य द्वारा किया गया है, जो जून माह तक विभाग द्वारा निर्धारित 545.00 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 92.13 प्रतिशत है । अब तक 17.82 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करते हुए प्रति परिवार को औसत 29 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21 जुलाई तक 11 अरब 91 करोड़ 97 लाख रूपये का Mother Sanction मजदूरी मद में किया गया है तथा अब तक 11 अरब 17 करोड़ 19 लाख रूपये का कुल व्यय मजदूरी मद में किया गया है । 1 अरब 87 करोड़ 88 लाख रूपये का मजदूरी भुगतान पूर्व के वित्तीय वर्ष में निर्गत FTO ( फण्ड ट्रान्सफर आर्डर) के विरुद्ध किया गया तथा शेष 9 अरब 29 करोड़ लाख रूपये का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्गत FTO के विरुद्ध किया गया है । सामग्री और प्रशासनिक मद में भारत सरकार द्वारा 5 अरब 25 करोड़ 77 लाख 84 हजार रूपये का आवंटन किया गया है जिसमें से अब तक 2 अरब 56 लाख 56 हजार रूपये का व्यय किया जा चूका है तथा अभी भी 4 अरब 64 करोड़ 35 लाख 93 हजार रूपये का वित्तीय वर्ष 2016-17 , 2017-18 एवं 2018-19 में सृजित दायित्वों का भुगतान शेष है । मानव दिवस सृजन के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से श्रम बजट बढ़ाने का अनुरोध किया जायेगा तथा तदनुसार श्रम एवं सामग्री मद आवंटन का अनुरोध किया जायेगा ।
- मनरेगा के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) / इंदिरा आवास के लाभार्थियों को 90 मानव दिवस (IAP जिलों में 95 मानव दिवस) का लाभ उनके आवास निर्माण के दौरान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में PMAY-G/IAY के लाभार्थियों को 34 लाख 23 हज़ार मानव दिवस का लाभ 21 जुलाई 2018 तक उपलब्ध कराया गया है ।
- मनरेगा एवं समेकित बाल विकास योजना के अभिसरण से 814 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है ।
- निजी भूमि के तहत लिए जाने वाले कार्यों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11466 कार्यों पर काम चल रहा है तथा 928 कार्यों को पूर्ण किया गया है । वर्मी/ नाडेप कम्पोस्ट से सम्बंधित 10097 कार्यों पर काम चल रहा है तथा 810 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है । 6581 पशु शेड निर्माणाधीन है तथा 360 इस प्रकार के कार्य को अब तक पूर्ण कर लिया गया है । 767 बकरी शेड निर्माणाधीन है तथा 51 इस प्रकार के कार्य को अब तक पूर्ण कर लिया गया है ।96 मुर्गी शेड का निर्माण प्रक्रियाधीन है ।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक मनरेगा के तहत 31 ग्रामीण हाट तथा 53 सरकारी विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में 450 बेयरफुट तकनीशियन के प्रशिक्षण के लक्ष्य के अनुरूप अगस्त माह से तीन माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल संरक्षण / जल संचयन / जल छाजन / सिंचाई / पुराने जल निकायों के पुनरुद्धारसे सम्बंधित 4887 कार्यों को अब तक पूर्ण किया गया है, जिसमें से 911 खेत पोखर के निर्माण से सम्बंधित हैं।

सम्भावित सुखाड़ की तैयारी

- सम्भावित सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर सभी जिलों को मनरेगा के तहत जल संरक्षण एवं जल संचयन से सम्बंधित कार्यों को 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच जारी रखने का दिशा निदेशनिर्गत किया गया है ताकि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके तथा ग्रामीणों के सम्भावित पलायन को रोका जा सके।
- सभी पंचायतो में काम माँगनेवाले 100 प्रतिशत मजदूरों को मनरेगा अंतर्गत काम दिया जायेगा।
- सम्भावित सुखाड़ की स्थिति में प्रति पंचायत प्रति दिन कम से कम 40 मानव दिवस सृजित किये जायेंगे एवं जल संरक्षण / जल संचयन/ जल निकायों के पुनरुद्धार कार्यों विशेषकर खेत पोखर निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी एवं कम से कम 5000 कार्यों को पूर्ण किया जायेगा।
- मनरेगा अंतर्गत प्रति परिवार 100 मानव दिवस रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, सुखाड़ घोषित होने पर सम्बंधित प्रखंडो में प्रति परिवार 150 मानव दिवस रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

3. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छता योजना) के क्रियान्वयन का दायित्व ग्रामीण विकास विभाग को जून 2016 से सौंपा गया, तब से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य को 31 मार्च 2019 तक खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य है। इसके लिए समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, क्षमतावर्द्धन के साथ सूचना, शिक्षा संचार की गतिविधियाँ जिलों में संचालित की जा रही हैं। इसके लिए 40 हजार से अधिक उत्प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया है और शौचालय निर्माण की उचित तकनीक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु 58 हजार राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन के उपलक्ष्य में 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' कार्यक्रम के तहत 3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2018 राज्य एवं अन्य प्रांतों से समागत करीब दस हजार स्वच्छाग्रहियों ने राज्य के विभिन्न जिलों में लोगों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग की प्रेरणा प्रदान की।

- शौचालय निर्माण कराने वाले लाभार्थियों को **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर** (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके खाते में किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शौचालय निर्माण सामग्री की उपलब्धता हेतु **ग्रामीण स्वच्छता बाजार** की स्थापना की गई है।

  **वर्त्तमान में सीतामढ़ी जिला** खुले में शौच से मुक्त हो चुका हैं। अब तक 32 प्रखंड एवं 1170 पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में कुल निर्मित शौचालयों की संख्या एक करोड़ 49 हजार 525 है। कार्यक्रम की शुरूआत के समय वर्ष 2014 में राज्य का स्वच्छता आच्छादन करीब 22 प्रतिशत था, वह बढ़कर 60.06 प्रतिशत हो चुका है। इस अभियान की सफलता हेतु ग्रामीण विकास विभाग एवं राज्य के मार्गदर्शन में जीविका निरंतर प्रयासशील है।

**4. जीविका–बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना**

- ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा विश्व बैंक द्वारा संपोषित परियोजना **बिहार ट्रांसफोर्मेटिव डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट (जीविका-II)** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शराब बन्दी एवं ताड़ी बन्दी के फलस्वरूप जिन परिवारों के समक्ष आजीविका का कोई विकल्प नहीं रह गया था उनके हित में **सतत् जीविकोपार्जन योजना** का क्रियान्वयन भी जीविका द्वारा ही किया जा रहा है। इस नयी परियोजना का लक्ष्य राज्य के लगभग 1 लाख वैसे निर्धनतम परिवारों को कौशल प्रशिक्षण के उपरान्त 60 हजार रूपये से 1 लाख रूपये प्रति परिवार वित्तीय संपोषण प्रदान कर बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खीपालन अथवा अन्य स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।
- जीविका से अबतक लगभग 94 लाख परिवारों को मिलाकर 8.14 लाख स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध किया गया है जिनमें 6.13 लाख समूहों के बचत खाते खोले गये हैं तथा 6.07 लाख समूहों को 5637 करोड़ रूपये की राशि बैंकों से ऋण के रूप मे प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त परियोजना की ओर से 5.13 लाख समूहों को परिक्रमी और आरंभिक पूंजीकरण निधि दी गई है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक 7 लाख 80 हजार सदस्यों का बीमा करवाया गया है और अपेक्षा की जाती है कि इस वर्ष में लगभग 10 लाख सदस्य बीमा से आच्छादित किये जायेंगे। राज्य के 18 जिलों में 269 ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनका संचालन महिलाएँ कर रही हैं। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बैंक सेवाएँ प्राप्त करने में सुविधा हो रही है और इनका संचालन करनेवाली महिलाओं को भी आय का साधन प्राप्त हुआ है।
- अबतक 8.11 लाख महिला किसानों द्वारा कृषि की नयी तकनीक को अपनाया गया है। नालंदा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया एवं पूर्णिया में स्थापित 4 उत्पादक कंपनियों के पंजीकरण के साथ किसानों का उत्प्रेरण, उत्पादों का एकत्रीकरण तथा बाजार से उनका लिंकेज किया जा रहा है। उत्पादकता में वृद्धि एवं मूल्य श्रृंखला की दिशा में 727 उत्पादक समूह, 4 उत्पादक कंपनियों के साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं।

- जीविका के माध्यम से मुर्गीपालन के 591 मदर यूनिटों के अंतर्गत एक लाख 81 हजार परिवार मुर्गी पालन कर रहे हैं। 61 हजार परिवारों को सम्बद्ध कर 448 दुग्ध सहकारिता समितियाँ संचालित की जा रही है जिनसे **समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना** के तहत 7 जिलों में 210 उत्पादक समूह गठित किए गए हैं जिनसे 8300 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्नत नस्ल की बकरी के पालन हेतु 25252 परिवारों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। **'कौशिकी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी'** के माध्यम से कोशी प्रमण्डल के 3 जिलों के 30 प्रखण्डों के 36000 परिवारों को दुग्ध कारोबार से जोड़ा गया है।
- **खादी ग्रामोद्योग आयोग** तथा **आई०टी०सी०** द्वारा प्रशिक्षित 8415 सदस्य अगरबत्ती निर्माण कर स्थानीय बाजार में उनकी **बिक्री** कर रहे हैं। 3340 मधुमक्खी पालकों को बेहतर विपणन विकल्प हेतु **डाबर कम्पनी** से जोड़ा गया है और तीन **मधु संसाधन केन्द्रों** की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गयी है। 7800 सदस्यों को कला एवं शिल्प संबंधी रोजगार से जोड़ा गया है। **स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम** के अंतर्गत 4560 व्यक्तिगत उद्यमिता विकसित की गयी है। स्वयं सहायता समूहों के 680 सदस्यों को कालीन बुनाई से जोड़ा गया है। **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना** के तहत यातायात सुगम बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह सदस्यों को अबतक 17 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और अगले कुछ दिनों में 50 लाभार्थियों को वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। सिक्की, सुजनी, मिथिला पेंटिंग तथा अन्य स्थानीय शिल्पों से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों का बेहतर विपणन सुनिश्चित करने हेतु **महिला शिल्प कला उत्पादक** कंपनी का निबंधन किया गया है।
- **कौशल विकास** की दिशा में **आरसेटी** द्वारा राज्य के 1 लाख 78 हजार 183, विश्व बैंक की बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना द्वारा 14 हजार 89 तथा **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** के तहत 27 हजार 265 युवाओं को रोजगार विषयक प्रशिक्षण दिया गया है। 1 लाख 22 हजार 411 युवा स्वरोजगार से सम्बद्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के तहत 9 हजार 289 एवं **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** के अंतर्गत 17 हजार 471 युवा नियोजित किए गए हैं। जॉब फेयर्स के माध्यम से 1 लाख 422 युवाओं को सीधी नियुक्ति प्राप्त हुई है।
- जीविका द्वारा राज्य सरकार के विभागों के साथ कन्वर्जेन्स कर **मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना**, के क्रियान्वयन के अतिरिक्त मनरेगा एवं सोलर लैंप निर्माण तथा वितरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। अबतक 6.30 लाख छात्रों को सोलर लैंप दिए गए हैं और वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत यह संख्या 18 लाख की जाएगी। सोलर लैंप के वितरण में जीविका **आई. आई टी. मुम्बई** के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** के साथ त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन के आधार कार्य कर रही है।
- जीविका ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर **संसाधन संगठन (नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाईजेशन)** के रूप में स्थापित की है और वर्तमान में **उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं अरुणाचल प्रदेश** में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियाकलापों के विषय में उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमतासंवर्धन में अपने सामुदायिक संसाधन सेवियों एवं परियोजना कर्मियों के माध्यम से योगदान दे रही हैं। इसके पूर्व **झारखंड, राजस्थान एवं असम**

जैसे राज्यों में अपनी सेवाएँ प्रदान करते हुए यहाँ की 2405 बाह्य सामुदायिक संसाधन सेवी महिलाओं ने स्वयं अपने तथा समग्रतः इस राज्य के लिए कुल **50.6 करोड़ रुपये** से अधिक की आय अर्जित की है।

## 6. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **प्रेषित** किये गये 20 उप जिलों (प्रखण्डों) में से राज्य सरकार द्वारा संपतचक (पटना), मानपुर (गया), कोचस (रोहतास), सोनवर्षा (सहरसा), बेतिया (प० चम्पारण), शिवाजीनगर (समस्तीपुर), श्रीनगर (पूर्णियाँ), बेलछी (पटना), टनकुप्पा (गया), भगवानपुर (कैमूर) एवं पिपरिया (लखीसराय) उप जिलों (प्रखण्डों) का चयन किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा चयनित उप जिलों के अंतर्गत चार रूर्बन क्लस्टर यथा–बैरिया (संपतचक), नौरंगा (मानपुर), कुचिला (कोचस) एवं सोनवर्षा (सोनवर्षा) का अनुमोदन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रूर्बन मिशन के प्रथम चरण हेतु किया गया है। चारो क्लस्टरों की समेकित क्लस्टर कार्य योजना **(ICAP)** का अनुमोदन भारत सरकार की प्राधिकृत समिति द्वारा किया गया है। स्वीकृत समेकित कार्ययोजना में सूचीबद्ध योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है ।
- राज्य सरकार द्वारा चयनित उप जिलों के अंतर्गत तीन रूर्बन क्लस्टर यथा–बरबत पासरेन (बेतिया), करियन (शिवाजीनगर) एवं खोखा (श्रीनगर) का अनुमोदन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रूर्बन मिशन के द्वितीय चरण हेतु किया गया है, जिसका समेकित क्लस्टर कार्य योजना **(ICAP)** तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इस मिशन के तृतीय चरण अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार क्लस्टर का आवंटन किया गया है। बेलछी (पटना), टनकुप्पा (गया), कैमूर (भगवानपुर) एवं पिपरिया (लखीसराय) के अंतर्गत क्लस्टर की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है । जल्द ही कार्ययोजना तैयार करने की कार्रवाई की जाएगी ।

  रूर्बन क्लस्टर में समता और समावेश पर जोर देते हुए ग्रामीण जन–जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए उसका सर्वांगीण विकास किया जाना है। इसके लिए केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं का निर्धारण कर समयबद्ध एवं समेकित ढंग से उनके क्रियान्वयन का समन्वयन किया जाएगा । जहाँ कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता के अनुसार राशि की उपलब्धता में कठिनाई हो, वहाँ राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (N.Ru.M.) द्वारा पूरक वित्त पोषण मुहैया कराये जाने का प्रावधान है।

## 6. सांसद आदर्श ग्राम योजना

- सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को गति प्रदान करना है तथा उसे आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना है ।
- इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में प्रथम चरण में 53 माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है द्वितीय चरण में 18 (अठारह) एवं तृतीय चरण में 7 (सात) माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ।
- इन चयनित ग्राम पंचायतों में कुल 3805 (तीन हजार आठ सौ पाँच) ग्राम विकास योजना ली गई है, जिनमें से 796 (सात सौ छियानबे) योजना पूर्ण हो गई है तथा 600 (छः सौ) योजना पर कार्य जारी है ।

## 7. आधार पंजीकरण

- ग्रामीण विकास विभाग, (राज्य पंजीयक) के द्वारा 861 स्थायी आधार केन्द्रों PEC के माध्यम से आधार पंजीकरण का कार्य कराया जा रहा है। अब आधार पंजीकरण केन्द्र सिर्फ सरकारी परिसरों में ही अवस्थित होंगे। आधार पंजीकरण तथा आधार से संबंधित अन्य सेवाओं यथा बायोमैट्रिक अपडेशन, ई–आधार, आधार की स्थिति की जानकारी इत्यादि की सुविधा सभी नागरिकों को सतत् रूप से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों, सभी अनुमंडलों, सभी नगर पंचायतों, सभी नगर परिषदों एवं सभी जिला मुख्यालयों में स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र (PEC-Permanent Enrollment Centre) स्थापित है। यह स्थायी केन्द्र तीन वर्ष के लिए है तथा आवश्यकता होने पर इनका दो साल का विस्तार भी किया जा सकता है। इन स्थायी आधार केन्द्रों पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभर्थियों का आधार सिडिंग भी किया जाना है जिससे कि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) लागू किया जा सके ।

  अभी तक राज्य में 10.17 करोड़ (2015 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर) जनसंख्या में से 10.07 करोड़ जनसंख्या का आधार सृजित किया जा चुका है, जिसमें से व्यस्क जनसंख्या (18 वर्ष से उपर) 100 प्रतिशत 05–18 वर्ष आयुवर्ग जनसंख्या 87 प्रतिशत एवं 0–5 वर्ष आयुवर्ग जनसंख्या 45 प्रतिशत का आधार सृजित किया जा चुका है।

## 8. सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी

- **सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य :** सामाजिक अंकेक्षण नियमावली योजना, 2011 की धारा 4 के तहत सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं, विधियों तथा नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।
- मनरेगा योजना में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार में सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी का पंजीकरण अप्रैल, 2017 में किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण

सोसाईटी, बिहार में कुल स्वीकृत पद इस प्रकार है – निदेशक – 1 (एक), सलाहकार – 1 (एक), राज्य संसाधन व्यक्ति – 7 (सात), जिला संसाधन व्यक्ति – 62 (बासठ) । स्वीकृत पद के आलोक में सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, बिहार द्वारा 2017 में राज्य संसाधन सेवी में 2 (दो) एवं जिला संसाधन सेवी में 32 (बत्तीस) व्यक्तियों का योगदान कराकर सभी सेवियों को 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत नालंदा जिला के नुरसराय प्रखंड के चार पंचायतों यथा चरुईपर, जगदीशपुर तीयारी, मुजफ्फरपुर, मेयार में सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है तथा इसके फलाफल से जिला को अवगत कराया जा रहा है, जिसपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । इसके अलावा सीवान एवं अरवल जिले के एक–एक पंचायत में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित जनवितरण प्रणाली का सामाजिक अंकेक्षण का Pilot किया गया है तथा प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जा रही है ।

- भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी दस जिलों में 61 बैच में 2337 (दो हजार तीन सौ सैंतीस) स्वयं सहायता समूह – ग्राम संसाधन सेवियों (SHG-VRP) को जीविका के सहयोग से प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो वर्तमान में सात जिलों के 290 पंचायतों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना का सामाजिक अंकेक्षण में भाग ले रहे है । यह सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम 07 जुलाई, 2018 से प्रारंभ हो चुका है, जो 20 सितम्बर, 2018 तक चलेगा ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5.43 करोड़ (पाँच करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की राशि सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी को प्राप्त हुई है।

## 9. प्रखंडों में आधारभूत संरचना का विकास

राज्य सरकार बिहार के सभी 534 प्रखंडों में कार्यो के सफल निष्पादन हेतु आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे सभी नये प्रखंड, जहाँ भूमि उपलब्ध नहीं है, के लिए न्यूनतम 2.5 (ढ़ाई) एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिलों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है। सरकार सभी पुराने एवं जीर्ण–शीर्ण कार्यालय भवन वाले प्रखंडों तथा भवनविहीन नये प्रखंडों में सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन–सह–आवासीय परिसर के निर्माण हेतु चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। अबतक 77 प्रखंडो में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन–सह–आवासीय परिसर–सह–निरीक्षण कमरा के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन स्वीकृत 77 प्रखंडों में से 34 प्रखंडों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

### 10. सूचना प्राद्यौगिकी भवन (IT भवन) का निर्माण

प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय के रूप में समुचित सुविधा सम्पन्न भवन के लिए सरकार द्वारा RIDF (Rural Infrastructure Development Fund) योजनान्तर्गत राज्य के 101 प्रखंडों में चरणबद्ध रूप से प्रखंड प्राद्यौगिकी भवन का निर्माण का निर्णय लिया गया है। यह योजना नाबार्ड द्वारा वित्त सम्पोषित है। इस योजना के तहत कुल 935.47 करोड़ (नौ अरब पैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख) रूपये की राशि के लागत से निर्माण कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है। परियोजना निर्माण के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई भवन निर्माण विभाग द्वारा करते हुए 86 स्थलों पर कार्य प्रारंभ कर दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय,

**प्रथम अनुपूरक के माध्यम से विभागीय प्रस्ताव – वित्तीय वर्ष 2018–19 में लागू सतत जीविकोपार्जन योजना हेतु 5000.00 लाख (पचास करोड़) रूपये एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्यांश की निकासी हेतु राज्यांश मद में 78802.92 लाख (सात अरब अठासी करोड़ दो लाख बेरानवे हजार) रूपये अर्थात कुल 83802.92 लाख (आठ अरब अड़तीस करोड़ दो लाख बेरानवे हजार) रूपये की स्वीकृति का प्रस्ताव है ।**